राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

(स्वजलधारा परियोजना)

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

3 फॉन ब्रेक एवेन्यू, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001

फोन : 91.522.2239428

फैक्स : 91.522.2237709

ई–मेलः ेूंस/ूंसण्वतह

पत्रां कः /W-314/04 दिनांक मई,04

सेवा में,
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : स्वजलधारा जिलों में वर्ष 2003–2004 में अवमुक्त धनराशि के व्यय हेतु कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के उपयोगार्थ निम्न कार्य प्रणाली प्रस्तावित है :–

1 भारत सरकार की स्वजलधारा परियोजना के सिद्धान्तों से परिचित कराने हेतु यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी शीघ्र ही जनपद में आयोजित की जाये जिसमें सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पेयजल योजना कार्यान्वयन की जानकारी जनपद के जिला पंचायत सदस्यों ब्लॉक/ग्राम पंचायत के सदस्यों, माननीय विधायकगण एवं पेयजल से सम्बन्धित सभी जनपदीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाये। योजना मांग अधारित हैं एवं इस हेतु सामुदायिक अंशदान की राशि एवं योजना पूर्ण होने पर उसके संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों द्वारा ही वहन किया जाना होगा। परियोजना की इन प्राथमिक आवश्यकताओं से सभी को परिचित कराया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि प्रदेश में लगे कुल हैण्डपम्पों की संख्या को देखते हुए स्वजलधारा परियोजना में केवल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना ही ली जानी है। स्वजलधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों के चयन में निम्नानुसार प्राथमिकता दी जाएगी :–

- जनपद की क्षतिग्रस्त या आधी अधूरी पड़ी पाइप पेयजल योजनाएं
- जल गुणवत्ता से प्रभावित ग्राम पंचायत
- पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत
- अक्रियाशील (Non functional) बहुग्रामीण पाईप पेयजल योजना

2. स्वजलधारा परियोजना के अन्तर्गत उन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा जो योजना की कुल लागत के 10 से 20 प्रतिशत तक अंशदान समुदाय से एकत्रित करने एवं योजना पूर्ण होने पर उसके संचालन एवं रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हों। सामुदायिक अंशदान की राशि 10 प्रतिशत उन ग्राम पंचायतों के लिए है जहां अभी 40 लीटर/व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, तथा 20 प्रतिशत उन ग्राम पंचायतों के लिए है, जहां 40 लीटर/व्यक्ति प्रति दिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध है परन्तु समुदाय द्वारा पानी की ओर अधिक मांग है। जहॉ पानी में रसायनिक प्रदूषण पाया जाता है उसे 40 ली0/व्यक्ति/दिन आपूर्ति होने पर भी स्वच्छ जल की आपूर्ति पूरी नही मानते हुए सामुदायिक अंशदान की राशि 10 प्रतिशत ही होगी, अन्यथा प्रदेश की अधिकतर आबादियों में 40 ली0/व्यक्ति/दिन आपूर्ति

सुनिश्चित की जा चुकी है अतएव सामुदायिक अंशदान की राशि लागत का 20 प्रतिशत होगी। 55 ली0/व्यक्ति/दिन से अधिक जल आपूर्ति की स्थिति में इस सीमा से उपर जल उपलब्ध कराने हेतु आने वाली अतिरिक्त लागत का वहन ग्राम पंचायत/समुदाय द्वारा किया जाएगा। सामुदायिक अंशदान की कुल राशि की आधी राशि नगद जमा करानी होगी, शेष राशि श्रम, सामग्री, नगद एवं भूमि के रूप में हो सकती हैं। माननीय सांसद एवं विधायकगण निधि से सामुदायिक अंशदान में राशि जमा कराये जाने पर पूर्ण मनाही है।

3. परियोजना के सफल संचालन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन तत्काल जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) की अध्यक्षता में किया जाये। शासनादेश संख्या **817/38–5–0 9 सम /02 टी0सी0 II दिनांक 13 मई,2004 (संलग्नक–1**) द्वारा स्वजलधारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया है। अतः इस क्रम में इस समिति के सदस्य सचिव जिला विकास अधिकारी होगें। शासनादेश संख्या **816/38–5–0–9 सम /02 टी0सी0–II दिनांक 13 मई,2004 (संलगनक 2**) के अनुसार स्वजलधारा कार्यक्रम हेतु 'जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति' के खाते का संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अन्तर्गत निम्न सदस्य होंगेः–

- अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जलनिगम।
- जिला पंचायत के कार्यकारी इंजीनियर।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- डी0आर0डी0ए0 के परियोजना निदेशक
- जिला पंचायती राज अधिकारी
- जिला समाज कल्याण अधिकारी
- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
- तीन सदस्य, जो विशेषज्ञ और/ प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन से होंगे, को एस0डब्लू0एस0एम0 की पूर्वानुमति से समिति से सहयोगी सदस्य बनाये जा सकते हैं।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति योजना तैयार कराने, प्रबन्ध एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। इस समिति का गठन प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह में कर लिया जाये। तीन सदस्य जो प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन से होंगे उनकी अनुमति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से तत्काल प्राप्त कर ली जाये। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के उत्तरदायित्व का विवरण भारत सरकार की स्वजलधारा मार्ग निर्देशिका में वर्णित है।

4. वित्तीय वर्ष 2003 –04 तथा आगामी वर्षो के लिए परियोजना के सिद्वान्तों के अनुसार जिन ग्राम पंचायत से योजना प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त हो उनके प्रस्ताव पर विचार कर जिला पेयजल स्वच्छता समिति भारत सरकार द्वारा आवंटित धन की लगभग चार गुना सीमा को देखते हुए प्राप्त योजना का प्रस्ताव वरीयता के अनुरूप निर्धारित कर चयनित योजनाओं से जिला पंचायत को अवगत कराएगी।

5. जिन ग्राम पंचायतों को प्राथमिक आधार पर चयन किया जाता है उनमें सामुदायिक सहभागिता, क्षमता विकास वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रखरखाव तथा अन्य गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी। यह कार्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा जिनका चयन पारदर्शिता के आधार पर निर्धारित चयन मानकों (**संलग्नक–3**) के अनुसार किया जाना होगा। सहयोगी संस्थाओं के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा जिसकी प्रति **संलग्नक–4** में दी गयी है जिसमें संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उन्हें देय पारिश्रमिक का वर्णन किया गया है।

क0 सं0	प्रशिक्षण	प्रतिभागी पदनाम	संख्या	अवधि
1	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी प्रशिक्षण	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	1 दिन
2	तकनीकी विकल्पों के चयन का प्रशिक्षण	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	1 दिन
3	सामुदायिक सशक्तीकरण एवं अंशदान एकत्रित करना	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	1 दिन
4	क्रय सामग्री, भण्डारण एवं सामुदायिक संविदा	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	1 दिन
5	रख–रखाव, संचालन, वित्तीय प्रबन्धन एवं अभिलेखों का रख–रखाव	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	2 दिन
6	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्य	15 प्रति ग्रा0पं0	1 दिन

उक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त निम्न कार्य भी किये जाने होंगे:

- चयनित ग्राम पंचायतों की प्रारम्भिक सूचना (base line data) तैयार कराना **(संलग्नक–5)**
- समुदाय को पूर्णतः भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा पूंजीगत लागत के लिए सामुदायिक अंशदान देने हेतु प्रेरित करना
- ग्राम पंचायत की Feasibility Survey Report तैयार करना **(संलग्नक–6)**
- Feasibility Survey Report के आधार पर सम्भावित तकनीकी विकल्प पर ग्राम सभा के साथ चर्चा करना **(संलग्नक–7)**
- उचित तकनीकी विकल्प के चयन हेतु सहमति बैठक (Agree-To-Do Meeting) कराना।
- चयनित तकनीकी विकल्प के आधार पर विस्तृत परियोजना आख्या (DPR) तैयार करना जिसमें पेयजल, नाली, भूजल संरक्षण वर्षा जल संचयन एंव कैचमेन्ट प्रोटेक्शन कार्यो का समावेश हो **(संलग्नक–8)**।

उक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर समस्त जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी एवं सहयोगी संस्था के दो व्यक्तियों का अभिमुखीकरण किया जाएगा।

सहयोगी संस्था के साथ होने वाले अनुबन्ध एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के प्रशासनिक (अनुबन्ध में वर्णित) व्यय का वहन आई0ई0सी0, एच0आर0डी0 एवं प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

6. स्वजलधारा कार्यक्रम की योजनाओं का कार्यान्वयन वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के स्तर पर किया जाएगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी।

जल प्रबंधन समिति – पंचायत राज अधिनियम की धारा 29 के अधीन शासनादेश संख्या 4077/33-2-99-48G/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 (संलग्नक 9) ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की गई है। यह

समिति ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगी। जिसका संगठानात्मक ढांचा निम्नवत् होगाः–

1. समिति के सदस्यों द्वारा चयनित पंचायत सदस्य अध्यक्ष होगा
2. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 में 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा 30 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अधिकतम सहयोजित सदस्य 07 होंगे

समिति के सदस्य अपने में से किसी एक को कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित करेगी। शासनादेश संख्या 2158-22-1-2001-40/99 दिनांक 18 सितम्बर 2001 **(संलग्नक–10)** ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति मे विशेष प्रगति के कार्यों पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त करने हेतु तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं केा सुन कर निर्णय लेने से पूर्व उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिये विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है जिसकी संख्या अधिकतम 7 होगी इन सदस्यों को विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता तो हागी किन्तु मत देने का अधिकार नही होगा। यह आवश्यक है कि समिति के गठन से पूर्व ग्राम में योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी जाये। यह कार्य ग्राम पंचायत के सदस्यों, विकास विभाग के अधिकारियों एवं जिन जनपदों में प्रस्तर–5 के अनुसार सहयोगी संस्था चयनित कर ली गयी है उनके द्वारा किया जायेगा।

7. विस्तृत परियोजना में जल गुणता पर विशेष ध्यान दिया जाये। केवल उन्हीं श्रोतों के पानी का उपयोग किया जाये जिनका जल गुणता मानक के अनुरूप हो। स्वजलधारा में पाइप पेयजल योजना ही ली जानी है, जिनमें जीवाणु प्रदूषण रोकथाम हेतु क्लोरीनेशन की उचित व्यवस्था अवश्य की जाये। श्रोत में पानी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि भूजल संचयन (वाटर रिचार्ज) के कार्यों का भी प्राविधान विस्तृत परियोजना आख्या में किया जाये। इसके लिये गाँव के तालाबों को गहरा करने, वृक्षारोपण एवं जलनिकासी हेतु नाली एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अवश्य कराया जाये। वर्षाजल संचयन के विविध कार्य प्रस्तावित किये जा सकते हैं। गांव के स्कूल में पाइप पेयजल योजना का एक संयोजन अवश्य दिया जाये। रखरखाव के लिये टूल किट एवं परीक्षण किट का प्राविधान विस्तृत परियोजना आख्या में अवश्य किया जाये।

8. सहयोगी संस्था/ जल निगम द्वारा तैयार की गयी विस्तृत परियोजनाओं का अनुमोदन ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत से कराने के उपरान्त जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त जिला पंचायत की सूचनार्थ भेजा जाये। इससे पूर्व यह आवश्यक है कि सामुदायिक अंशदान की 50% धनराशि जमा करा ली गयी हो तथा उसे जल प्रबन्धन समिति के खाते में पृथक से जमा करा दिया गया हो। शासनादेश संख्या 820/38/5–09–9 सम/02/टी0सी0 II दिनांक 13 मई, 2004 **(संलग्नक–11)** के अनुसार ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्ल्यू0एस0सी0) के खाते का संचालन ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के चयनित अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

9. प्रस्तर 5 के अनुसार वर्णित सहयोगी संस्था के स्थान पर जलनिगम को सहयोगी संस्था के रूप में चयनित किया जा सकता है जिसे नियोजन चरण एवं क्रियान्वयन चरण के वर्णित क्रियाकलापों को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी होगी। जलनिगम को भी सहयोगी संस्था हेतु किये गये निर्धारण के अनुरूप ही भुगतान किया जायेगा। ऐसी स्थिति में जहां जलनिगम सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी एवं निर्माण कार्य हेतु जलनिगम को अनुबन्धित किया जाता है तो कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण पर्यवेक्षण डी0सी0सी0डी0यू0 के माध्यम से डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा किया जायेगा। निर्माण पर्यवेक्षण हेतु वर्णित क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों का वहन भी जलनिगम द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए जलनिगम को निर्माण एजेन्सी के रूप में दिये जा रहे सेन्टेज चार्ज के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा। इस हेतु जलनिगम के साथ अनुबन्ध किया जायेगा।

10. जहां सहयोगी संस्था के रूप में स्वयं सेवी संस्था कार्य करेगी एवं निर्माण कार्य जलनिगम के अतिरिक्त किसी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा ऐसी स्थिति में निर्माण पर्यवेक्षण गुणवत्ता नियन्त्रण आदि के लिए एक निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी भी लगायी जायेगी जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कर देगी। ऐसी स्थिति में निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी हेतु तकनीकी क्षमता के कारण जलनिगम को प्राथमिकता दी जायेगी।

निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी का निर्धारण डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा किया जायेगा जिसके लिए पृथक से अनुबन्ध की प्रक्रिया की जायेगी। निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :–

1. डी0पी0आर0 की Adequacy Report
2. क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का परीक्षण
3. निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण
4. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को निर्माण में पूर्ण तकनीकी सहयोग
5. क्रियान्वयन चरण समापन आख्या (आई0पी0सी0आर0)
6. संचालन एवं रख रखाव प्रणालियों की स्थापना
7. परियोजना का आत्मार्पण के पश्चात बहिर्गमन

निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी को उसके कार्यों के लिए भुगतान की व्यवस्था डी0पी0आर0 में प्राविधान के अनुसार किया जायेगा। निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी से किये जाने वाले अनुबन्ध के मानक पृथक से भेजे जायेंगे।

11. योजना के अनुमोदन एवं सामुदायिक अंशदान की राशि जमा होने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा योजना लागत की 40% राशि ग्राम पंचायत के खाते में अवमुक्त कर दी जायेगी जिसके बाद योजना कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है। जनपद स्तर पर डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के खाते का संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। क्रियान्वयन चरण हेतु एक अनुबंध डी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं ग्राम पंचायत के मध्य किया जाना होगा जिसका प्रारूप **संलग्नक–12** में दिया गया है।

12. विस्तृत परियोजना आख्या (डी0पी0आर0) के निर्माण के साथ ही नियोजन चरण की गतिविधियां पूर्ण हो जायेंगी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य अनुबन्ध की तिथि से निर्माण हेतु क्रियान्वयन चरण का प्रारम्भ माना जायेगा। क्रियान्वयन चरण के प्रारम्भिक 3 माह के लिए पूर्व अनुबन्धित सहयोगी संस्था द्वारा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियान्वयन हेतु निम्न क्रियाकलापों को पूर्ण करने में सहयोग देगी:–

- ❖ ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षर
- ❖ ग्राम निधि –4 में धनराशि का स्थानान्तरण
- ❖ अवशेष अंशदान की राशि जमा कराना
- ❖ सामग्री क्रय की प्रक्रिया
- ❖ निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशिक्षण
- ❖ ठेकेदार का चयन
- ❖ उपरोक्त क्रियाकलापों के पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा सहयोग किया जायेगा।

13. क्रियान्वयन के दौरान सामुदायिक अंशदान की अवशेष राशि एकत्रित कर ली जाये क्योंकि योजना लागत की दूसरी किस्त सामुदायिक अंशदान की पूरी राशि जमा कराने के बाद ही जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अवमुक्त की जायेगी। क्रियान्वयन चरण के दौरान सहयोगी संस्था/निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा नियमित मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जायेगी और कार्य समापन पर क्रियान्वयन चरण समाप्ति आख्या (आई0पी0सी0आर0) **(संलग्नक–13)** तैयार की जायेगी जिसमें पूरे कराये गये कार्यों का पूरा ब्योरा, डिजाइन एवं व्यय का सम्पूर्ण कार्यवार विवरण दिया जायेगा तथा इस पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त की जायेगी।

14. उपरोक्त समस्त गतिविधियों का जिले एवं राज्य स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण हेतु ग्राम पंचायत एवं जिले से योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराना अपेक्षित है। डी0डब्लू0एस0सी0, चयनित ग्राम पंचायतों से प्रारूप वी0एम01 तथा वी0ओ02 **(संलग्नक–14–15)** पर सूचना प्राप्त कर लें तथा अपने जिलें स्तर की सूचना प्रारूप डी0ओ0–4 एवं डी0एम0–5 **(संलग्नक–16–17)** पर तैयार कर लें। सभी प्रारूपों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले की संक्षिप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप **(संलग्नक–18)** पर एस0डब्लू0एस0एम0 को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. सभी कार्यों के सुचारू रूप से संपादन होने के उपरान्त ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु अपने अधिकार में लेंगे। ग्राम समुदाय को संचालन एवं रख–रखाव का प्रशिक्षण समय से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ही दिया जायेगा।

16. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ ग्राम पंचायत द्वारा योजना का संचालन एवं रखरखाव एक वर्ष तक सुचारू रूप से किये जाने की स्थिति में भारत सरकार योजना लागत के 10 प्रतिशत के तुल्य राशि रखरखाव सुरक्षा कोष हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अरूण सिंघल)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जलनिगम, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अधिशासी निदेशक

<u>स्वयं सेवा संस्थाओं के चयन के मानक एवं प्रकिया</u>

स्वयं सेवा संस्थाओं के चयन के मानक एवं प्रकियाः– स्वयं सेवी संस्थाओं के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता (बेसिक मिनिमम क्वालीफिकेशन), मल्यांकन की पद्वति तथा चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी :–

(क) <u>न्यूनतम आवश्यक योग्यता</u> –

(1) संस्था का वैधानिक पंजीकरण कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो,

(2) संस्था के मेमोरेन्डम आफ एशोशिएशन तथा रूल्स में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं से सम्बन्धित कियाकलाप किये जाने का स्पष्ट प्राविधान हो,

(3) संस्था के लेखों का न्यूनतम 3 वर्षो से चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट किया गया हो, तथा

स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन के मापदण्ड़

1. संस्था का सामान्य अनुभव (10 अंक)

क्रम सख्या	अस्तित्व के वर्ष (3 अंक)	
(i)	<3 वर्ष	- 0
	=3 वर्ष	- 1
	=4 वर्ष	- 2
	>=5 वर्ष	- 3
(ii)	किय गये प्रोजेक्ट (5 लाख से अधिक की लागत) –	(4 अंक) (1 अंक प्रति परियोजना)
(iii)	किये गये प्रोजक्ट का मान	(3 अंक)
	< 50 लाख	- 1 अंक
	>=50 & < 100 लाख	- 2 अंक
	>=100 लाख	- 3 अंक

2. संस्था संबन्धित अनुभव (20 अंक)

सेक्टर	ग्रामीण(18) 90 प्रतिशत	शहरी (2) 10 प्रतिशत	कुल (20 अंक) 100 प्रतिशत
पेयजल (केवल 20 लाख या अधिक की परियोजना)	13	2	15
स्वच्छता (केवल 10 लाख या	–	–	2 (प्रति प्रोजेक्ट 1 अंक)

अधिक की परियोजना)			
स्वस्थ एवं स्वचछता (केवल 5 लाख या अधिक की परियोजना)	—	—	1 (प्रति प्रोजेक्ट 0.5 अंक)
जल संरक्षण (केवल 10 लाख या अधिक की परियोजना)	—	—	2 (प्रति प्रोजेक्ट 1 अंक)

- सामुदायिक प्रोजेक्ट (10 अंक)
  (केवल रू0 20 लाख या अधिक की परियोजना)

योगदान कर्ता के रूप में	5 अंक
उत्प्रेरक के रूप में	8 अंक
दोनों	10 अंक

3. प्रमुख विशेषज्ञ (30 अंक)

स्टाफ	अंर्हताएं (10 अंक 2 अंक प्रति स्टाफ)	आवश्यक अनुभव
टीम लीडर	रूरल मैनेजमेन्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / मास्टर ड्रिगी सोशल वर्क (MSW)	10 वर्ष
सीनियर इंजीनियर	ड्रिगी/ डिप्लोमा (सिविल / मैकनिक्ल/ पर्यावरण)	15/5 वर्ष
अवर इंजीनियर	डिप्लोमा (सिविल / मैकनिक्ल/ पर्यावरण)	3 वर्ष
सामुदायिक विकास विशेषज्ञ	रूरल मैनेजमेन्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा / मास्टर ड्रिगी सोशल वर्क (MSW)	5 वर्ष
सामुदायिक संयोजक	स्नातक (समाज शास्त्र)	3 वर्ष

(बोनस – कुल 10 अंक 1 प्रति उच्चशिक्षा और अनुभव)

4. ज्ञान प्रसार (10 अंक)

कम सख्या	फील्ड टेनिंग करवाने का अनुभव	6 अंक
1	1 to 10 कार्यकम	2 अंक
	11-20 कार्यकम	3 अंक
	> 20 कार्यकम	6 अंक
	संस्थागत टेनिंग की संख्या	4 अंक
	1 to 10 कार्यकम	1 अंक
	11-20 कार्यकम	2 अंक
	> 20 कार्यकम	4 अंक

5. सस्था की क्षमता (20 अंक)

- कार्यरत Professional Staff की संख्या 6 अंक
  2 marks for each employee (6 marks for no. of employees >=3)
- कार्यरत सहायक स्टाफ – 4 अंक
  1 अंक – प्रति लेखाकार, प्रोग्रामर, डेटाएन्टरी आपरेटर (DEO) तथा सहायक
- कुल संपति – 5 अंक
  - <=0 लाख – 0 अंक
  - >0 & < 5 लाख – 2 अंक
  - >= 5 लाख - 5 अंक
- औसत वार्षिक turnover – 5 अंक
  - <5 lakhs – 0 अंक
  - >=5 & < 10 लाख – 2 अंक
  - >= 10 लाख - 5 अंक

<u>स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन की प्रकिया</u> :–

(1) स्थानीय एवं राष्टीय समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन देकर स्वय सेवी संस्था के आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन की इच्छुक संस्थाएं स्वयं सेवी संस्थाओं के निर्धारित टर्म आफ रिफरेन्स (TOR) एवं मूल्यांकन पद्वति सम्बन्धित जनपद के जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय से सादे आवेदन पत्र पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकेगी। जो संस्थाये अपने को न्यूनतम आवश्यक योगयताएं तथा TOR क अनुरूप उपयुक्त समझती है, ऐसी संस्थाए निर्धारित आवेदन पत्र जनपद के जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय से रू0 100 का भुगतान कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेगी । पूर्ण आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जनपद के जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति कार्यलय में जमा करेगी।

(2) आवेदन पत्र के आधार पर स्वयं सेवी संस्थाओं को Short List किया जायेगा।

Short Listed स्वयं सेवी संस्था का मूल्यांकन समबन्धित जनपद की जिला पेयजल स्वच्छता समिति (DWSC) द्वारा किया जायेगा। Short Listed स्वयं सेवी संस्थाओं के मुख्यालय स्थित कार्यालय एवं उनके द्वारा किये गये कार्यो का सथनीय सत्यापन किया जायेगा एवं स्थानीय जनता से संस्था की ख्याति के बारे में पता लगाया जायेगा। मूल्यांकन में, जो स्वयं सेवी संस्था 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करती है, उनके सम्बन्ध में स्वयं सेवी संस्था को वित्त पोषण करने वाली संस्था से, स्वयंसेवी संस्था के द्वारा किये गये कार्यो के बारे में रिर्पोट प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार जो स्वयंसेवी संस्था क्वालिफाई करती है उनक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में संलग्न तीन वर्षो के आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) का सत्यापन DWSC द्वरा नामित लेखाधिकारी, के लेखाकार से करा लिया जाये।

(3) इस प्रकार जो स्वयं सेवी संस्था उपरोक्त सभी मानको पर खरी उतरेगी उसका चयन DWSM के अनुमोदन के उपरान्त जलनिधि परियोजना में किया जायेगा।

स्वजलधारा कार्यक्रम
नियोजन चरण (6 माह) अनुबन्ध

अनुबन्ध संख्या................
दिनांकः..........................

अनुबन्ध के पक्षकारः

1. यह स्वयं सेवी संस्था ....ब्लाक.....................जिला.....................जिसे इसके आगे सहयोगी संस्था के रूप में संदर्भित किया जायेगा और जिला पेयजल स्वच्छता समिति .... जनपद ...., जिसे इसके आगे डी0डब्लू0एस0सी0 के रूप में संदर्भित किया जायेगा, के बीच अनुबन्ध की पुष्टि के लिए है।

2. **कार्यक्षेत्रः** इस अनुबन्ध के अंतर्गत दोनों पक्षकार नियोजन चरण ***(संलग्नक–1)*** के क्रियाकलाप विवरण (डीओए) के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं। सहयोगी संस्था अनुबन्ध के तहत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों एवं उनके राजस्व ग्रामों में नियोजन चरण क्रियाकलाप पूरे कराएगी। ग्राम पंचायत के नाम लागत पत्रक ***(संलग्नक –2)*** में दिये गये हैं।

3. **अनुबन्ध की अवधिः** सहयोगी संस्था तुरन्त कार्यारंभ करेगी/ प्रभावी तिथि से कार्यारंभ कर चुकी है। अनुबन्ध के अधीन नियोजन चरण के समस्त क्रियाकलाप प्रभावी तिथि से 6 माह के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रभावी तिथि...है।

सहयोगी संस्था के निवेश और उत्तरदायित्वः

4. **सामान्यः** सहयोगी संस्था कार्य के स्वरूप और उद्देश्य का पूरा ध्यान रखकर कार्य को व्यावसायिक एवं नैतिक सक्षमता व सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक के अनुसार पूरा करने तथा साथ ही इस अनुबन्ध के तहत सेवाओं को पूरा कराने के लिए दिये गये स्टाफ से भी तदनुकूल उच्च मानक सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व लेती है।

सहयोगी संस्था यह भी मानती है कि इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर की सभी उपार्जित जानकारियां और सूचनाएं सदा और सभी स्थितियों में दृढ़तापूर्वक गोपनीय मानी व रखी जायेंगी और उन्हें डी0डब्लू0एस0सी0 की लिखित अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई क्यों न हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी प्रकट नहीं किया जायेगा।

इस अनुबन्ध के तहत सहयोगी संस्था और उसके स्टाफ की सेवाओं से उत्पन्न होने वाले किसी और सभी दावों, मांगों और/ अथवा हर प्रकार के फैसलों से डी0डब्लू0एस0सी0 को सहयोगी संस्था हानि रहित और सुरक्षित रखेगी। इस अनुबन्ध के समापन के बाद भी इस अनुच्छेद की बाध्यता बनी रहेगी।

सेवाओं के अनुपालन के दौरान सहयोगी संस्था द्वारा प्रस्तुत सभी सुनिर्णीत कार्यक्रम, रेखाचित्र, विशेष विवरण, डिजाइन, रिपोर्ट और अन्य प्रलेख या साफ्टवेयर डी0डब्लू0एस0सी0 की संपत्ति बन जायेंगे। सहयोगी संस्था ऐसे प्रलेखों की प्रतिलिपि अपने पास रख सकती है, लेकिन इस अनुबन्ध से असंबद्ध उद्देश्यों के लिए डी0डब्लू0एस0सी0 की लिखित पूर्वानुमति के बिना वह उनका उपयोग नहीं करेगी।

5. स्टाफ की नियुक्तिः

(i) डीओए में निर्दिष्ट स्टाफ की व्यवस्था सहयोगी संस्था करेगी।

(ii) नियोजन चरण के लिए की गयी नयी भर्ती से संबद्ध प्रलेखों का रखरखाव सहयोगी संस्था अवश्य करेगी।

(iii) किसी विरल स्थिति में यदि सहयोगी संस्था स्टाफ में कोई परिवर्तन आवश्यक माना जाये तो सहयोगी संस्था ऐसा करने से पहले डी0डब्लू0एस0सी0 को सूचित करेगी। इसके अतिरिक्त नये स्टाफ की योग्यताएं व अनुभव डीओए में उल्लिखित से कम न होंगे। नये स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सहयोगी संस्था का होगा।

(iv) सहयोगी संस्था डी0डब्लू0एस0सी0/एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में अपने स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। यदि कोई स्टाफ डी0डब्लू0एस0सी0 से अग्रिम छूट प्राप्त किये बगैर डी0डब्लू0एस0सी0 प्रशिक्षणों में उपस्थित नहीं रहता तो सहयोगी संस्था ऐसे स्टाफ को प्रशिक्षण अवधि का वेतन नहीं देगी।

(v) सहयोगी संस्था अपने स्टाफ के कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबन्धित करेगी, जिससे अनुबन्ध की अवधि के किसी भी समय किसी भी बिन्दु पर सहयोगी संस्था स्टाफ के निवेश की कमी से स्कीम का कार्य बाधित न हो।

(vi) नियुक्त स्टाफ द्वारा अपेक्षित यात्राओं को पूरा कराना सहयोगी संस्था सुनिश्चित करेगी।

(vii) सहयोगी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अनुबन्ध के लिए नियुक्त पूर्णकालिक स्टाफ केवल अनुबन्ध से संबद्ध कार्यों में ही लिप्त रहे और अंशकालिक स्टाफ अनुबन्ध के कियाकलापों के लिए नियत मानवमासों को पूर्ण करे।

6. स्वजलधारा कार्यकम निधि संचालनः

स्वजलधारा कार्यकम निधियों का संचालन हेतु संस्था पृथक खाता खोलगीं। इस खाता खोलने हेतु डी0डब्लू0एस0सी0 के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया जाए। किसी भी समय अनियमितता पाये जाने पर डी0डब्लू0एस0सी0 प्रस्ताव पारित करके खाता संचालन पर रोक लगा सकेगी।

7. न्यूनतम मजदूरी ऐक्ट, लेबर ऐक्ट व अन्य संबद्ध अधिनियमों का परिपालन सुनिश्चित करना सहयोगी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

डी0डब्लू0एस0सी0 के निवेश और उत्तरदायित्वः

8. डी0डब्लू0एस0सी0:–

(i) निर्धारित शर्तो के पूरे होने की दशा में सभी भुगतान 15 दिन में करेगी।

(ii) सहयोगी संस्था के साथ सम्पर्क करने के लिए एक अधिकारी/विषेषज्ञ की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है।

(iii) सहयोगी संस्था स्टाफ, वी0डब्लू0एस0सी0 सदस्यों एवं पेयजल उपभोक्ता समूहों/ स्वयं सहायता समूह/ स्वजलधारा महिला समूह को प्रशिक्षण देने योग्य बनाने हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने की आवश्यक व्यवस्था करेगी।

(iv) अनुबन्ध से संबद्ध प्रलेखों की स्वतन्त्र लेखा परीक्षा करने के लिए एक लेखा–परीक्षक की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगी; और

(v) फीजिबिलिटी फार्म के प्रस्तुत किये जाने के 15 दिनों के अन्दर उसे ठीक घोषित करने अथवा अपनी टिप्पणी देने के लिए जिम्मेदार होगी।

अनुबन्ध में वर्णित सेवाओं की लागत

9. अनुबन्ध की सेवाओं के लिए भुगतान रु0 ....(रु0..................,मात्र) होगा। संलग्न लागत पत्रक में (संलग्नक 2) जो कि अनुबन्ध का एक अंश भी है, लागत का फांट दिया गया है।

भुगतान सारणी

10. भुगतान की सारणी निम्नवत् हैः

भुगतान	भुगतान का दिनांकः लगभग या निर्धारित	धनराशि	अनुबन्ध राशि का प्रतिशत
#1	अनुबन्ध हस्ताक्षर के उपरान्त		20%
#2	2 माह बाद		40%
#3	4 माह बाद		30% + सर्वेक्षण लागत का 100% + डीपीआर की तैयारी की लागत का 100%
#4	6 माह बाद		10% या बकाया

सहयोगी संस्था को प्रति पंचायत लागत प्रपत्र के अनुसार उस दशा में देय होगा जब संस्था द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 की लागत में भारत सरकार का अंश रु0 16.00 लाख अथवा उससे अधिक होगी। भारत सरकार का अंश रु0 16.00 लाख से कम होने पर संस्था को अधिकतम कुल भुगतान भारत सरकार के अंश का 3% ही होगा।

स्रोत विकास, प्रतिरोधकता जांच, जल गुणवत्ता जांच आदि के निमित्त प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि का भुगतान 'करने के लिए सहमत' बैठक के बाद वाउचरों के प्रस्तुत किये जाने पर ही की जायेगी।

मिशन निदेशक, स्वजलधारा कार्यक्रम गुणवत्ता के आधार पर उक्त समय–सारणी में अपवादों पर विचार कर सकते हैं। इन भुगतानों का एक अंग 'ऊपरी खर्च' है। ऊपरी खर्च का अन्तिम समायोजन वास्तविक कुल खर्च के अधीन होगा। किसी ग्राम पंचायत को कार्यक्रम से हटाने (drop) अथवा किसी विशिष्ट कियाकलाप में न्यूनतम उपलब्धि के कारण उपर्युक्त भुगतान की राशियों में डी0डब्लू0एस0सी0 संशोधन कर सकती है।

अपेक्षा की जाती है कि सहयोगी संस्था भुगतान की निम्नलिखित शर्तों को देय तिथि से पहले पूरी करेगी और दावे की जांच और भुगतान जारी करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए संबद्ध डी0डब्लू0एस0सी0 को औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। यह अपेक्षित है कि सहयोगी संस्था प्रत्येक भुगतान के निमित्त भुगतान की हर एक और सभी शर्तों को पूरी करके पूरा दावा प्रस्तुत करें। फिर भी, डी0डब्लू0एस0सी0 का सदस्य सचिव भुगतान की शर्तों के पूरी न होने अथवा आंशिक रूप से पूर्ण होने के प्रति भुगतानों को रोकते हुए आंशिक भुगतान जारी करने के लिए अधिकृत है।

भुगतान की शर्तें

11. भुगतान #1 (20%) की शर्तें

भुगतान # 1 किया जायेगा, बशर्तेः

(i) निर्धारित प्रपत्र पर डी0डब्लू0एस0सी0 को भुगतान की औपचारिक मांग बैंक का नाम, पता, खाता संख्या के साथ प्राप्त हो।

(ii) संस्था द्वारा अनुबन्ध की धनराशि के 20% के समतुल्य बैंक गारण्टी उपलब्ध करा दी हो, जिसे अन्तिम भुगतान के बाद अवमुक्त किया जाए।

(iii) डीओए में विनिर्दिष्ट स्टाफ की नियुक्ति और परिलब्धियों के प्रमाण के रूप में सहयोगी संस्था ने अध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा विधिवत् सत्यापित संतोषजनक प्रलेख प्रस्तुत कर दिया हो; और

12. भुगतान # 2 (40%) की शर्तें :

भुगतान # 2 किया जायेगा, बशर्ते–

(i) डी0डब्लू0एस0सी0 को भुगतान की औपचारिक मांग निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त हो;
(ii) पेयजल उपभोक्ता समूहो एवं वी0डब्लू0एस0सी0का पुनर्गठन, विशिष्ट स्थायी आमंत्रियों की पहचान और मनोनयन किया जा चुका हो; अर्थात् नियेाजन के अनुसार समुदाय को अधिकार सौंपने के कियाकलाप जारी हों;
(iii) समस्त परियेाजना स्टाफ ने डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ;
(iv) भुगतान # 1 के प्रति निर्धारित प्रपत्र पर व्यय–विवरण डी0डब्लू0एस0सी0 को प्राप्त हो और भुगतान # 1 के बदले में किया गया व्यय भुगतान के 80% कम न हो;
(v) सहयोगी संस्था ने संतोषजनक मासिक प्रगति रिपोर्टें (एमपीआर) नियमित रूप से प्रस्तुत की हों;
(vi) सहयोगी संस्था स्टाफ को आदेश चेक द्वारा या स्टाफ के बैंक एकाउन्ट में सीधे अंतरण द्वारा वेतन देने का प्रमाण हो;
(vii) निम्न विषयक प्रशिक्षण वी0डब्लू0एस0सी0 को दिये जा चुके हों:
 (क) वी0डब्लू0एस0सी0 सदस्यों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
 (ख) फीजीबिलिटी प्रकिया एवं आम सहमति बैठक

(viii) ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में पहला स्वस्थ गृह सर्वेक्षण (एचएचएस) पूरा हो चुका हो और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हो।
(ix) सरार उपकरणों का संतोषजनक उपयोग किया जा चुका हो और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हो;
(x) अन्य गांव या समुदाय अथवा व्यक्ति से, जो कि पानी के स्रोत का स्वामी है, अनापत्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसकी एक प्रति संबद्ध डी0डब्लू0एस0सी0 में दाखिल की जा चुकी हो।
(xi) आधार रेखा सर्वेक्षण संचालित कर प्रत्येक गांव के परिवारों की अन्तिम सूची और कुल आबादी को अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए प्रलेख दाखिल कर दिया हो।
(xii) फीजिबिलिटी प्रकिया एक सफल सर्व–सामुदायिक 'करने के लिए सहमत' बैठक में समुदाय के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अनुमोदित हुई हो। ऐसी बैठक के कोरम के विषय में एक रिपोर्ट सम्बद्ध डी0डब्लू0एस0सी0 को दी गयी हो;
(xiii) डी0डब्लू0एस0सी0 के लिए स्वीकार्य जल गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत हो;
(xiv) डी0डब्लू0एस0सी0 को सभी गांवों की विद्यमान पेयजल आपूर्ति स्कीमों की परिसंपत्तियों की सूचियां सौंपी गयी हों।
(xv) डीओए के अनुसार सभी गांवों में कॉस विजिटें संचालित की जा चुकी हों।
(xvi) सहयोगी संस्था द्वितीय भुगतान प्राप्त करने पूर्व यह सुनिश्चि कर ले कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पेयजल योजना पूर्ण हो सकती है यदि पूर्ण होना सम्भव नही है तब स्पष्ट कारणों का उल्लेख एवं उस ग्राम पंचायत पर हुए व्यय का विवरण डी0डब्लू0एस0सी0 के सम्बन्धित अधिकारी/ विशेषज्ञ की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उस ग्राम पंचायत को परियोजना से हटाया जा सके यदि द्वितीय भुगतान प्राप्त करने बाद ग्राम पंचायत को परियोजना से अलग करने का प्रस्ताव होगा तब उस ग्राम पंचायत पर हुए समस्त व्यय सहयोगी संस्था को ही वहन करने होगें।
(xvii) ग्राम पंचायत के समस्त वार्डो में महिला स्वयं सहायता समूह तथा ग्राम पंचायत स्तर पर डब्ल्यू0एस0एच0जी0 के परिसंघ के रूप में महिला समूह का गठन हो गया हो।
(xviii) द्वितीय भुगतान के समय यदि यह ज्ञात होता है कि भारत सरकार के अंश रु0 16.0 लाख से कम है तो कुल भुगतान भारत सरकार के अंश का 3% मानते हुए भुगतान #2, #3, #4 की पुनः गणना कर भुगतान किया जायेगा।

13. भुगतान # 3 (30%) की शर्तें :

भुगतान # 3 किया जायेगा, बशर्ते–

(i) भुगतान प्रदान करने की प्रार्थना डी0डब्लू0एस0सी0 को निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त हो;,

(ii) भुगतान # 1 और 2 के संबन्ध में डी0डब्लू0एस0सी0 को निर्धारित प्रारूप पर व्यय–विवरण प्राप्त हो और कुल व्यय की धनराशि भुगतान # 1 के प्रति 100% और भुगतान #2 के प्रति 80% से कम न हो।

(iii) सहयोगी संस्था ने संतोषजनक एमपीआर नियमित प्रस्तुत की हों;

(iv) सहयोगी संस्था स्टाफ को आदेश चेक द्वारा या स्टाफ के बैंक एकाउंट में सीधे अंतरण द्वारा वेतन दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत हो।

(v) निम्न विषयों में वी0डब्लू0एस0सी0 को कैप प्रशिक्षण देकर सामुदायिक कार्ययोजना बना ली गयी हो तथा डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को प्रलेख प्राप्त हो गये हों:

(क) तकनीकी योजना–

(i) पेयजल खाका निर्माण

(ii) निकास नाली

(iii) वर्षा जल संचयन/भूगर्भ जल संरक्षण

(ख़) सामुदायिक सशक्तिकरण–

(i) वार्ड स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्तरदायित्व

(ii) सेनीटरी सर्वे

(iii) स्वजलधारा महिला समूह (परिसंघ) का उत्तरदायित्व

(ग) प्रबन्धन–

(i) नगद एवं श्रम योगदान

(ii) संचालन एवं रखरखाव

(iii) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(vi) सभी गांवों में दीवारों पर लिखने का काम पूर्ण हो चुका हो;

(vii) पेशगी नकद योगदान की उपयुक्त धनराशि के संग्रह का प्रमाण (सामुदायिक मदों के लिए लक्ष्य का लगभग 50% प्रस्तुत हो;)

(viii) डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को इंजीनियरी सर्वेक्षण की सन्तोषजनक रिपार्ट मिली हो,

(ix) गांवों में विद्यमान पेयजल आपूर्ति स्कीमों की परिसंपत्तियों की सूची डी0डब्लू0एस0सी0 को दी जा चुकी हो।

(x) एक वर्ष के संचालन और रखरखाव के पेशगी नकद संग्रह और स्वजलधारा खाते में उसके जमा होने का प्रमाण डी0डब्लू0एस0सी0 को मिला हो;

(xi) डी0डब्लू0एस0सी0 को पेशगी नकद योगदान और निजी कनेक्शन अंश के संग्रह और स्वजलधारा कार्यक्रम हेतु वी0डब्लू0एस0सी0के खातों में उसके जमा होने का प्रमाण मिल गया हो;

(xii) क्रियान्वयन चरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हो; और

(xiii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा चुकी हो।

14. भुगतान # 4 (10% या बकाया) की शर्तें :

भुगतान # 4 किया जायेगा, बशर्तें–

(i) डी0डब्लू0एस0सी0 को निर्धारित प्रारूप पर भुगतान हेतु औपचारिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो;

(ii) डी0डब्लू0एस0सी0 को भुगतान # 1, 2 के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण प्राप्त हो चुका हो और कुल व्यय भुगतान # 1 और 2 के 100% और भुगतान # 3 के 80% से कम न हो;

(iii) डी0डब्लू0एस0सी0 को संतोषजनक अंतिम ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो;

(iv) सहयोगी संस्था ने इस चरण के क्रियाकलाप को प्रलेखबद्ध किये जाने का तार्किक प्रमाण दिया हो। यह प्रमाण लिखित रिपोर्ट, चित्र या वीडियोफिल्म आदि हो सकता है;

(v) सहयोगी संस्था स्टाफ को आदेश चेक द्वारा या स्टाफ के बैंक एकाउंट में सीधे अंतरण द्वारा वेतन दिये जाने का प्रमाण प्राप्त हो;

(vi) गांव के प्रमुख स्थलों पर स्कीम विषयक दीवार लेखन किया जा चुका हो।

अतिरिक्त लागत/ वसूलियां

15. यदि किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण अनुबन्ध के तहत पूरे करने योग्य क्रियाकलाप के लिए, अनुबन्ध में निर्दिष्ट लागत के अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ जाए तो सहयोगी संस्था /डी0डब्लू0एस0सी0 से तदनुरूप अतिरिक्त सांविधिक वृद्धि या अतिरिक्त भुगतान के लिए अधिकृत न होगी।

16. कोई ऐसा व्यय, जिसे आडिट या डी0डब्लू0एस0सी0 अनुबन्ध और डीओए की परिधि के परे पाये, तो उसे परियोजनाधीन व्यय नहीं माना जायेगा और उसे सहयोगी संस्था को वहन करना होगा।

17. बचतें या बकाये:

नियोजन चरण की समाप्ति पर, सभी क्रियाकलापों के पूरे होने के बाद, कुल भुगतान और स्वीकृत परिव्यय का अन्तर, यदि कुछ हो, तो उसे डी0डब्लू0एस0सी0 को लौटाया जायेगा। किसी भी क्रियाकलाप के लिए वास्तविक परिव्यय अथवा अनुबन्ध की धनराशि जो भी न्यूनतम होगी, स्वीकार्य परिव्यय होगा। फिर भी, अनुबन्ध की कुल धनराशि की उच्चतम सीमा के अधीन, प्रत्येक क्रियाकलाप में समुचित औचित्य होने पर डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा 10% का विचलन स्वीकार्य हो सकता है।

पर्यवेक्षण और अनुश्रवण:

18. पर्यवेक्षण और अनुश्रवण:

अनुबन्ध की अवधि में मिशन निदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और/अथवा संगठन, गांवों में मौके पर प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने के लिए अधिकृत होगा। सहयोगी संस्था का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे क्रियाकलापों में निदेशक या उसके प्रतिनिधि के समक्ष आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करें और उसके साथ सहयोग करें।

19. रिपोर्टिंग:

डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुश्रवण और मूल्यांकन क्रियाकलाप को सहयोगी संस्था करेगी और प्रगति रिपोर्टें और वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करेगी।

20. सूचना तक पहुंच:

मिशन निदेशक स्वजलधारा कार्यक्रम/अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0/अध्यक्ष जिला पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त किसी दल की पूरी पहुंच सभी सूचनाओं और अनुबन्ध से सम्बन्धित प्रलेखों तक होगी। डी0डब्लू0एस0सी0 या उसके प्रतिनिधि जब और जैसे मांगे, सहयोगी संस्था को ये प्रलेख तब और वैसे उसके समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

21. परियोजना क्षेत्र में अध्ययन:

मिशन निदेशक/ अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0 या उसके द्वारा नियुक्त कोई दल परियोजना क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए अधिकृत होगा। इन क्रियाकलापों में मिशन निदेशक/ अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0 अथवा उसके प्रतिनिधि के साथ सहयोग करना सहयोगी संस्था का कर्तव्य होगा।

22. वित्तीय आडिटः

इस अनुबन्ध से सम्बन्धित बही खाते, दो बार आडिट होंगे, पहली बार भुगतान #2 के देय होने पर और अंततः भुगतान #4 के भुगतान से पहले। सहयोगी संस्था को डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा नियुक्त आडिटर के समक्ष इन खातों से संबन्धित बहियां, रिकार्ड और प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। मिशन निदेशक/अध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा नियुक्त कोई भी दल अनुबन्ध से संबन्धित खातों की जांच और/ या आडिट करने के लिए अधिकृत होगा।

अनुबन्ध में संशोधनः

23. इस अनुबन्ध में जो भी परिवर्तन अभीष्ट हो उसे सहयोगी संस्था और डी0डब्लू0एस0सी0 की सहमति से किया जा सकता है। सहमति से किये गये परिवर्तनों का लिखित प्रलेखन अनिवार्य है।

25. डी0डब्लू0एस0सी0 दत्तकार्य को स्थगित या निरस्त करना और/ अथवा उसकी अवधि को कम या ज्यादा करना, जिसमें ग्राम पंचायत को हटा देना भी सम्मिलित है, आवश्यक समझ सकता है। फिर भी, ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना सहयोगी संस्था को शीघ्रातिशीघ्र देने का हर संभव प्रयत्न किया जायेगा। समापन की स्थिति में, समापन की तिथि तक दत्तकार्य का निर्वाह करने के लिए की गयी सेवाओं के निमित्त सहयोगी संस्था को भुगतान किया जायेगा और सहयोगी संस्था इस अनुबन्ध के तहत समापन की तिथि से पहले तक संकलित रिपोर्टें या उसके अंश अथवा कोई अन्य सूचनाएं व प्रलेख डी0डब्लू0एस0सी0 को सौंप देगी।

26. लागू होने वाले कानूनों के तहत देय सभी करों, चुंगियों, शुल्कों, उगाहियों और अन्य अधिभारों के लिए सहयोगी संस्था उत्तरदायी होगी।

अनुबन्ध का समापन और विवादों का समाधानः

27. (i) डी0डब्लू0एस0सी0 को अधिकार होगा कि वह सहयोगी संस्था के अनुबन्ध का समापन कर दें, यदि इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के बाद यह पाया जाये कि–

(क) सहयोगी संस्था द्वारा दी गयी जानकारी गलत थी और डी0डब्लू0एस0सी0 को भटका देने की नीयत से दी गयी थी; या

(ख) तकनीकी, सामाजिक या अन्य किसी कारण से समुदाय नियोजन चरण क्रियाकलाप अपने हाथ में नहीं ले सकता; या

(ग) सहयोगी संस्था द्वारा निधि का कुप्रबन्धन हुआ है; या

(घ) सहयोगी संस्था निर्धारित समय पर वर्णनात्मक रिपोर्टों और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने में विफल रही है; या

(ड.) सहयोगी संस्था नियोजन चरण पूरा करने में विफल है।

(ii) (संस्था का नाम) को अनुबन्ध समापन का अधिकार होगा, यदिः–

(क) सहयोगी संस्था द्वारा भुगतान की आवश्यक शर्तों के पूरी होने के बावजूद डी0डब्लू0एस0सी0 ने समय पर अपने किश्तों का भुगतान नहीं किया; या

(ख) डी0डब्लू0एस0सी0 ने अनुश्रवण हेतु अधिकारी/ विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की हो; या

(ग) डी0डब्लू0एस0सी0/एस0डब्ल्यू0एसम0एम0 ने प्रशिक्षण का संचालन नहीं किया हो।

27. यदि सहयोगी संस्था अपने कार्यो को अनुबन्धानुसार या डी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा अपेक्षित रूप में संतोषजनक रूप में करने में आंशिक या पूर्ण रूप से विफल है, जिसका निर्णय एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा किया जा सकेगा, तो ऐसी धनराशि सहयोगी संस्था से वसूल की जा सकेगी।

28. **विवाद / मध्यस्थताः**

सहयोगी संस्था / डी0डब्लू0एस0सी0 के बीच किसी विवाद के उत्पन्न होने पर वह मामला प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन की अकेली मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा, जो स्वयं मध्यस्थता कर सकते हैं या अपने स्थान पर किसी को नामित कर सकते हैं, जो कि उनका पंच–निर्णय देंगे, जो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। पक्षकारों के बीच होने वाले सभी विवाद लखनऊ न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत रहेंगे।

हस्ताक्षरः

29. नियोजन चरण अनुबन्ध दो प्रतियों में तैयार हुआ है, दोनों पर सहयोगी संस्था और सदस्य सचिव, डी0डब्लू0एस0सी0 ने हस्ताक्षर किये हैं। सहयोगी संस्था इस अनुबन्ध की एक प्रति अपने पास रखेगी।

सहयोगी संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरी	**डी0डब्लू0एस0सी0 का अधिकृत हस्ताक्षरी**
हस्ताक्षरः	हस्ताक्षरः
नामः	नामः
पदनामः	Iknuke%
पताः	पताः
दिनांकः	दिनांकः
साक्षी 1 :	साक्षी 1 :

संलग्नकः

1. नियोजन चरण (06 माह) के लिए कियाकलाप का विवरण (डीओए)।
2. लागत पत्रक।

संलग्नक–1

स्वजलधारा कार्यक्रम
नियोजन चरण (प्रथम 6 माह)
क्रियाकलाप का विवरण (डी0ओ0ए0)

पृष्ठभूमिः

1. स्वजलधाराः

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित स्वजलधारा परियोजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रदेश के सभी जनपदों में चलाई जा रही यह परियोजना मांग आधारित एवं सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्तों पर ग्रामीण समुदाय को पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ऐसा अभिमत है कि स्वजलधारा परियोजना के संचालन से प्रदेश में मांग आधारित एवं सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्तों के आधार पर पेयजल सेवा प्रदान करने की मुहिम को सबल प्राप्त होगा। परियोजना, प्रदेश में जल आदायगी के क्षेत्र में विभिन्न अभिनव प्रयोगों को भी करने का अवसर प्रदान करेगी।

2. परियोजना के उद्देश्यः

- ग्रामीण बस्तियों में सहभागिता के आधार पर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
- समुदाय को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाये जाने की दिशा में प्रयास करना।
- सामाजिक चेतना की अभिवृद्धि हेतु सार्थक पहल करना।
- सामुदायिक सशक्तीकरण हेतु प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिये प्रयास करना।

3. नियोजन चरण के लक्ष्यः

नियोजन चरण का लक्ष्य समुदाय को एक निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यस्त रखना है जिससे उनके द्वारा भावी पेयजल आपूर्ति स्कीम, के नियोजन में सुविधा होगी। इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में राजस्व ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समूह तथा ग्राम पंचायत पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समुदाय की मांग और योजना के क्रियान्वयन, संचालन और देखरेख में उसके योगदान और भागीदारी के प्रति उसकी तत्परता की भी पुष्टि नियोजन चरण करता है। इस प्रक्रिया में सहयोगी संस्था की भूमिका एक सुविधाकर्ता की है, जो समुदाय के मार्गदर्शन में सहायक होता है और यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के निर्णय को एक विस्तृत सामुदायिक कार्ययोजना और क्रियान्वयन चरण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाये।

समुदाय को गतिशील, बनाने हेतु समुदाय के विभिन्न समूह जैसे स्वंय सहायता समूह, जल उपभोक्ता समूह, आदि के सशक्त करने की आवश्यकता है। इसमें समूह निर्माण, आत्मालोचन, समस्या समाधान एवं पेयजल आपूर्ति और इंजीनियरी सर्वेक्षण व डिजाइन पर ध्यान देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्रियान्वयन चरण के लिए प्रस्ताव के रूप में पेयजल योजना के लिए डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना आख्या) का सूत्रपात होता है।

4. स्वजलधारा परियोजना में ग्राम पंचायत की जे0पी0एस0 पुर्नगठित होकर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका में रहेगी।

ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समूह (WUG) बनाये जाएगें जिसमें 7 से 12 तक सदस्य होंगे। पेयजल उपभोक्ता समूह से एक सदस्य वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के लिए मनोनीत किया जाए। इन प्रतिनिधियों की अधिकतम सीमा 7 होगी।

इस प्रकार पुर्नगठित वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को संचालन तथा देखरेख की भूमिकाएं सौंपी गयी हैं। नियोजन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एक पृथक खाता स्वजलधारा वी0डब्ल्यू0एस0सी0 (नाम)..................से खोलेगी। इस खाते का संचालन वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 में परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन में यह समिति शीर्ष संस्था की भूमिका ग्रहण करेगी।

परियोजना के नियोजन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और पेयजल उपभोक्ता समूहों– स्वयं सहायता समूह, स्वजलधारा महिला समूह, सामुदायिक गतिशीलन, समुदाय को सत्तासंपन्न बनाने के महिला विकास पहल (डब्लूडीआई) क्रियाकलाप के निर्माण में सम्मिलित होंगी। इनमें समूह निर्माण, आत्मालोचन, समस्या समाधान एवं पेयजल आपूर्ति के विकल्पों पर चर्चा, विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण एवं डिजाइन पर ध्यान दिया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप पेयजल योजना के लिए क्रियान्वयन चरण के वित्त पोषण के लिए एक प्रस्ताव का सूत्रपात होगा।

5. गणपूर्ति (कोरम):

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। फिर भी, कोरम के निम्न प्रावधान प्रत्येक क्रियाकलाप में समुदाय के विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता और कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। एक समुदाय व्यापी बैठक का कोरम ग्राम पंचायत में समाविष्ट गांवों की कुल वयस्क आबादी का 20% होगा, जिसका कम से कम 20% महिलाएं होंगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की बैठक का कोरम वही होगा, जो पंचायती राज अधिनियम में है। परन्तु, कम से कम 50% मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त होगी।

6. सहयोगी संस्था के कार्य:

(i) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का पुनर्गठन:

अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के बाद सहयोगी संस्था उन पुरवों/ वार्डों/ राजस्व ग्रामों की पहचान करेगी, जिनमें स्वजलधारा के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों का निर्माण किया जाना है। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के पुनर्गठन काल में राजस्व ग्रामों में पेयजल उपभोक्ता समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक पेयजल उपभोक्ता समूहों से कम से कम एक सदस्य सर्वसहमति से जल प्रबंधन समिति में मनोनीत किया जाएगा। अधिकतम मनोनयन की संख्या 07 होगी। महिला सदस्यों का मनोनयन करते समय वी0डब्ल्यू0एस0सी0 में महिलाओं की 30 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी और प्रयत्न किया जायेगा कि वी0डब्ल्यू0एस0सी0 में अधिकांश वार्डो से प्रतिनिधित्व हो सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि वी0डब्ल्यू0एस0सी0 में 30 प्रतिषत महिलाएं एवं 20 प्रतिषत अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से हो। **जलप्रबन्धन समिति के 07 निर्वाचित सदस्य तथा अधिकतम 07 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति गठित की जायेगी। जलप्रबन्धन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष होगा, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति मनोनीत सदस्यों में से कोषाध्यक्ष का चयन करेगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पृथक खाता होगा, जिसमें नकद अंशदान एवं संचालन रखरखाव की धनराशि जमा की**

जायेगी। इस खाते का संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा। क्रियान्वयन चरण में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति पृथक खाता खोलेगी, जिसमें डी0डब्ल्यू0एस0सी0 से प्राप्त निधियों को रखेगी एवं उपयोग करेगी।

(ii) **समुदाय को परियोजना सूचनाः**

सहयोगी संस्था के स्टाफ अपने अनुकूलन के बाद के पहले महीने में, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों के निवासियों को समुदायव्यापी बैठकों में, जिनका कोरम पैरा 5 में विनिर्दिष्टवत् होना आवश्यक होगा, परियोजना के उद्देश्यों अभिगमों और कार्य पद्धति से परिचित करायेंगे। अपने औपचारिक प्रशिक्षण के बाद जीपी सदस्यों, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के अधीनस्थ स्टाफ के पहले क्रियाकलाप में से यह एक होगा। अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के उपरान्त प्रथम माह की परवर्ती बैठकों में संस्था वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं समुदाय की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करेगी एवं लिपिबद्ध करेगी।

(iii) समूह संरचना और सुविधाकरणः

अनुबन्ध के हस्ताक्षरित होने के बाद पहले महीने में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डो में पृथक पृथक बहुउद्देशीय महिला क्लस्टर समूह (डब्लूसीजी) गठित किया जायेगा, जिसमें वार्ड के प्रत्येक परिवार से एक महिला का समावेश किया जायेगा।ये क्लस्टर महिला समूह गांव में स्वजलधारा कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु बनेंगे। इसे महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में जाना जायेगा। जो बचत और उधार क्रियाकलाप में आषक्त होने के साथ साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के लाभों से लाभान्वित होने के उपायों के लिए कार्ययोजना बनायेंगे। ये समूह बचत समूह के रूप में विकसित किये जा सकेंगे जिनके लिए सहयोगी संस्था प्रषिक्षण आयोजित करेगी तथा भविष्य में अन्य योजनाओं से सहायता प्राप्त कर आर्थिक क्रियाकलाप कर सकने में स्वतन्त्र होंगे। वार्ड में पेयजल की आवष्यकता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं संचालन रखरखाव जैसे विषय इनकी चर्चा तथा योजना निर्माण के आधार होंगे। उपरोक्त विषयों पर समूहों के सदस्यों का क्षमता संवर्धन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वजलधारा महिला समूह (एस0एम0एस0) का गठन किया जायेगा, जो वार्डो में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के परिसंघ (फेडरेशन) के रूप में कार्य करेगा। एस0एम0एस0 में वार्डो में गठित प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों से एक महिला नामित की जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर एस0एम0एस0 न्यूनतम 07 एवं अधिकतम 15 सदस्यों की होगी। जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सामुदायिक कार्ययोजना बनाने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगी। इसके लिए इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।

पेयजल आपूर्ति ढांचे के अंतर्गत क्लस्टर समूहों की अध्ययन आवश्यकताओं की पहचान कर सहयोगी संस्था डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ विचार–विमर्श द्वारा अभीष्ट हस्तक्षेपों का निर्णय करेगी। इन क्रियाकलापों के निर्धारण, नियोजन और क्रियान्वयन में एस0एम0एस0 निर्णायक भूमिका अदा करेगा। निर्धारित किए गये क्रियाकलापों में, समुदाय को, विशेष रूप से महिला वर्ग को, जो पेयजल प्रबन्ध में प्रमुख हैं, अधिकार सौंपने का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, वे परियोजना के नियोजन व क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी हो सकें और कुल मिलाकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(iv) सेनीटरी सर्वेः नियोजन चरण के प्रारम्भ के तीन महीनों में सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा एक बार सभी मोहल्लों/तोकों में 'सैनीटरी सर्वे का अभ्यास समुदाय के साथ कर उसके आंकड़ों को रिकार्ड किया जाये। इसके बाद इन आंकड़ों का संकलन कर सम्पूर्ण गांव की व्यक्तिगत, घरेलू एवं पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी स्थिति संकलित कर ली जाये। इन आंकडों पर चर्चा गॉव की बड़ी बैठक बुलाकर की जाये, जिससे ग्रामवासियों को अपने गांव की स्वस्थ एवं पर्यावरणीय स्वच्छता की स्थिति का ज्ञान हो सके। बाद में प्रत्येक छः महीने में एक बार इस अभ्यास को समूह के साथ करके बदलाव की समीक्षा की जायें। सहयोगी संस्थाओं

द्वारा सैनीटरी सर्वे के संकलित आंकड़ों की एक प्रति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ भेजी जाये। सैनीटरी सर्वे' निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा।

सैनीटरी सर्वे के महत्व को समझने में, समय–समय पर (कम से कम तीन महीने में एक बार) उन्हें संचालित करने में, समुदायव्यापी बैठकों में उनके परिणामों की चर्चा करने में और व्यवहार परिवर्तनों का प्रलेखन करने में क्लस्टर समूहों की क्षमता के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सैनीटरी सर्वे के परिणामों के आधार पर गांव में स्वास्थ्य और स्वस्थवृत्त में सुधार के उद्देश्यों, लक्ष्यों और रणनीतियों को तय करने में समुदाय को सम्मिलित किया जायेगा।

सेनीटरी सर्वे की सफलता के निम्न सूचक होंगेः–

- *शौच के बाद साबुन अथवा राख से हाथ धोना।*
- *खाना खाने से पूर्व साबुन अथवा राख से हाथ धोना।*
- *पीने एवं खाना बनाने हेतु सुरक्षित पानी का प्रयोग।*
- *षिषुमल का सुरक्षित निपटान।*
- *शौच हेतु शौचालय का प्रयोग।*

(v) आधार रेखा अध्ययन/ जांचः

संस्था वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं डब्लू0यू0जी0 के सहयोग से समुदाय के साथ ग्राम पंचायत की पेयजल आपूर्ति विश्लेषण में आसक्त होगी, जिससे कि उनके निराकरण के लिए प्रभावी उपायों का निर्णय लिया जा सके। वह विद्यमान पेयजल आपूर्ति की स्थिति, व्यवहार पर बल देते हुए पानी ले आने में लगने वाले समय, अन्य संबद्ध मुद्दों पर विचार करेगी। इसलिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और संस्था का स्टाफ खोजी तथा सहभागी आंकड़ा संग्रह विधियों द्वारा आधार रेखा सूचना का संग्रह करने में समुदाय की सहायता करेगा। इन उत्पादित आंकड़ों का उपयोग अनुश्रवण कार्यों में तल–चिह्नों की तरह किया जायेगा। आधार रेखा आंकड़ों का उपयोग नियोजन कार्यों में भी किया जायेगा। संस्था के मार्गदर्शन में समुदाय की सहायता से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समुदायों के साथ/द्वारा प्रत्येक बस्ती या क्लस्टर में सामाजिक मानचित्र तैयार करायेगा। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) अभ्यास के दौरान जमीन पर तैयार कराये गये सामाजिक मानचित्र प्रति–परीक्षण (त्रिभुजन, ट्रयांगुलेशन) के लिए जनता को सौंपे जायेंगे और तदनंतर स्थायी प्रलेखन के निमित्त कागज पर उतार लिये जायेंगे।

(vi) भुगतान की क्षमता निर्धारित करने और लाभार्थियों के चयन के लिए संपत्ति स्तरीकरण अभ्यास का उपयोग करेगी। नियोजन कार्यों और समस्या विश्लेषण के लिए अन्य पीआरए विधियों का उपयोग करेगी। ग्रामीणजनों को स्थानीय आवश्यकताओं, व्यवहारों व समस्याओं की पहचान और बयान करने में समर्थ बनाने के लिए सरार विधियों/सामग्रियों (जैसे पाकेट चार्ट, मैक्सीफ्लैन और बेतरतीब पोस्टर आदि) का प्रयोग करेगी। स्थानीय स्वस्थवृत्त और स्वच्छता स्थितियों के अनुश्रवण के लिए सैनीटरी सर्वे का उपयोग करेगी। परियेाजना के लिए अभियोजित संस्था स्टाफ को इन उपकरणों का उपयोग करने और आंकड़ा संग्रह करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पीआरए एवं सरार (आत्मगौरव, सहयोगी सामर्थ्य, सूझ–बूझ, कार्यनियोजन और उत्तरदायित्व) अथवा अन्य तकनीकों के उपयोग से सहयोगी खोज के परिणामों को प्रकिया अभिलेखन के रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट जीपी के अन्तर्गत स्थित सभी गांवों को आच्छादित करेगी।

सरार उपकरण और उनके उद्देश्य अधः प्रस्तुत हैं। वी0डब्ल्यू0एस0सी0और जीपी इनका उपयोग स्थिति की आवश्यकतानुसार करेगी। प्रारम्भ में सृजानात्मक खोजी उपकरणों का उपयोग किया जायेगाः–

उपकरणों के नाम	**उद्देश्यों**
(क) सृजनात्मक / खोजी उपकरणः • **अकमबद्व पोस्टर** • **पाकेट चार्ट पेयजल** • **सामुदायिक मानचित्र**	**नये दृष्टि कोणों, नये विचारों/सुझावों को प्रोत्साहित करना, आत्मविश्वास और आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का निर्माण, अनुसंधान से रहस्य का पर्दा उठाना, भागीदारों द्वारा आंकड़े एकत्र व संसाधित कराना और**

	सूचना पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ाना।
(ख) विश्लेषणात्मक उपकरण: • पोस्टर ड्रामा • मैक्सीफ्लैन • महिला समयोपयोग विश्लेषण • संसाधनों तक पहुंच और उनका नियंत्रण • तीन गड्डी छटनी कार्ड • तकनीकी विकल्प कार्ड–पेयजल	**भागीदारों को मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और समस्याओं के समाधान में व्यस्त रखना।**
(ग) सूचनात्मक उपकरण: • प्रबन्धन खेल • स्वास्थ्य बनाम रोग • सांप व सीढ़ी • रोग सम्प्रेषण मार्ग	**सुखद रूप में सूचना एकत्र कर बेहतर निर्णय लेने में उसका उपयोग करना।**
(घ) कार्य नियोजन उपकरण: • अधूरी कहानी	**पूरे समूह की सृजनात्मकता को समायोजित करते हुए अंतर्विष्ट रूप में क्रमबद्ध कार्य नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कौशल का विकास करना।**

उपर्युक्त उपकरणों में से कुछ एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति में उपयोगी हो सकते हैं। जैसे सामुदायिक मानचित्र का उपयोग एक खोजी उपकरण, एक नियेाजन उपकरण और एक अनुश्रवण उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार महिला समयोपयोग विश्लेषण और सेनीटरी सर्वे का उपयोग खोजी और अनुश्रवण उपकरणों के रूप में किया जा सकता है।

(vii) क्रास विजिट:

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति दूसरे मास में कम से कम एक क्रॉस विजिट का आयोजन कार्यक्रम के एक ऐसे गांव में करेगी जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(viii) पानी की उपज का मूल्यांकन:

स्वजलधारा परियेाजना के लिए अभियोजित संस्था का स्टाफ स्रोत के जल रिसाव का मापन करेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के बाद पहले महीने से उत्तरोत्तर यह सक्रियता मासिक आधार पर कार्यान्वित की जायेगी।

(ix) वर्तमान परिसम्पत्तियों का सूचीकरण:

गांव में विद्यमान पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों का निर्धारण करने के लिए संस्था वी0डब्ल्यू0एस0सी0, डब्लू0यू0जी0 एवं समुदाय और ग्राम पंचायत को प्रदत्त स्टाफ के साथ गांव में विद्यमान पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों की सूची तैयार करेगी। इससे परिसंपत्तियों की बरबादी से बचा जा सकेगा। नई स्कीम के निर्माण में विद्यमान परिसंपत्तियों का उपयोग ग्राम पंचायत के हित में होगा।

(x) फीजिबिलिटी विश्लेषण द्वारा पेयजल आपूर्ति के विकल्पों का चयनः

संस्था अपने जूनियर इंजीनियर से तथ्य पत्रकों के साथ फीजिबिलिटी फार्मो पर पेयजल आपूर्ति के उन विकल्पों के विषय में सूचना तैयार करने के लिए कहेंगे जो जीपी के सभी गांवों में व्यावहारिक हैं। इन तथ्य पत्रकों में निम्न विषयक सूचनाएं संमिलित होंगीः–

(क) टेक्नालॉजी का संक्षिप्त विवरण

(ख) संभावित पूंजी लागत

(ग) संभावित संचालन व देखरेख लागत

(घ) संचालन व रखरखाव आवश्यकताएं

(ड.) सेवा का स्तर

(च) संभावित समस्याएं

(छ) सीमाएं

संस्था यह सुनिश्चित करेंगी कि विद्यमान स्कीमों का पुनर्गठन/आवर्धन एक विकल्प होगा। इसके बाद अन्य टेक्नॉलॉजी के चयन के लिए स्थानीय कसौटियों की कार्यप्रणाली के उपयोग से ग्राम पंचायत के समस्त क्लस्टर वर्गों में इन्हें समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(xi) सहमति करने हेतु बैठक (Agree to do)

समस्त समुदाय के एक 'करने के लिए सहमत' ('एग्री टू डू') बैठक में विविध पेयजल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता विकल्पों के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। एटीडी के लिए कोरम हेतु ग्राम पंचायत की गृह इकाईयों के प्रतिनिधियों का 20 प्रतिशत जिसमें न्यूनतम 20 प्रतिशत महिलायें हों, की अनिवार्यता होगी। आम सहमति बैठक के अन्त में समुदाय ने निम्न चयन कर लिये होंगेः–

1. पेयजल आपूर्ति विकल्प
2. स्रोत एवं जलग्रहण संरक्षण विकल्प एवं वर्षा जल संचयन

आम सहमति बैठक की कार्यवाही अभिलेखित की जानी चाहिए और उसकी एक प्रति फीजिबिलिटी फार्म के निर्धारित प्रारूपों पर सूचनाओं के साथ डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को भेजी जानी चाहिए।

(xii) विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण

एक बार समुदाय द्वारा टेक्नालॉजी विकल्प का चयन हो चुकने पर संस्था का इंजीनियरी स्टाफ चुनी गयी टेक्नालॉजी के लिए चौथे महीने में विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा। सर्वेक्षण के समय वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और एस0एम0एस0 के यथासंभव सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 इस बात का ध्यान रखे कि स्कीम के मौके पर स्रोत, उपचार इकाई, जलभंडार टैंक,

सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट (नल) और पाइप लाइन के पथ चिह्न स्पष्ट रूप से अंकित हों। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 की मूल्यांकन टीम इसका सत्यापन कर सकती है। सर्वेक्षण में गांव के जलनिकास (ड्रेनेज) के प्रस्तावित निर्माण कार्य भी स्वच्छ मिशन के अन्तर्गत करवाने के लिए संम्मिलित किए जाए है। विकल्प के रूप में ट्यूबवेल के चयन की स्थिति में स्रोत की विश्वसनीयता और ओवरहैड टैंक (ओएचटी) के निर्माण के लिए मिट्टी की धारण क्षमता के निर्धारण के लिए प्रतिरोधकता जांच कराने की आवश्यकता है।

(xiii) समुदाय को सामूहिक क्रिया के लिए विशेष रूप से पेशगी नकद योगदान का संग्रह करने के लिए गतिशील बनाना

नियोजन चरण से क्रियान्वयन चरण में बढ़ने के लिए एक शर्त यह है कि परियोजना के प्रावधानों के अनुसार समुदाय को पेशगी नकद योगदान का संग्रह करके उसे वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के खाते में जमा कर देना चाहिए। योगदान तीन प्रकार के होंगे :–

1. पेयजल आपूर्ति एवं जलनिकास स्कीमों के प्रति पेशगी नकद योगदान।
2. एक वर्ष के रखरखाव का अन्तिम अंशदान

संस्था के मार्गदर्शन में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं एस0एम0एस0 इस प्रयास में अनुबन्ध के प्रारम्भ से लेकर नियोजन चरण की समाप्ति तक समुदाय को गतिशील करेगी और उसे मदद पहुँचायेगी।

(xiv) प्रशिक्षणः–

नियोजन चरण में प्रस्तावित प्रशिक्षण इस प्रकार हैं :–
कलस्टर बैठक
ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
फीजिबिलिटी, तकनीकी विकल्पों का चयन, आम सहमति बैठक
तीन सामुदायिक कार्ययोजनाओं का निर्माण
स्वयं सहायता समूह एवं स्वजलधारा महिला समूह का उत्तरदायित्व

(xv) क्रियान्वयन के प्रस्ताव की तैयारीः–

तीसरे महीने में संस्था वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ एक क्रियान्वयन के प्रस्ताव तैयार करेगी, तथा प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वित करेगी । प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्ययोजना सम्मिलित होंगे।

(क) नकद एवं श्रम योगदान की कार्ययोजनाः–

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को एक विस्तृत नकद व श्रम योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में नियोजन चरण के दौरान संकलित पेशगी लागत, विभिन्न परिवारों द्वारा किये जानेवाले श्रम योगदान की माहवार योजना नकद की योजना सम्मिलित होगी तथा कार्ययोजना के अनुरूप सामुदयिक पेषगी धनराशि का संग्रह कर एक पृथक वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खाते में सम्मिलित कर दिया जायेगा।

(ख) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम0एण्ड0ई0) कार्ययोजनाः–

समुदाय को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ विचार विमर्श करके एक एम0एण्ड0ई0 योजना तैयार करनी चाहिए। अपनी प्रगति का अनुश्रवण करने में ग्रामीणों की सहायतार्थ सामुदायिक उपकरणों की एक श्रृंखला विकसित की गयी है। इसमें निम्न सम्मिलित हैं :–

क) सैनीटरी सर्वे ;

ख) सामुदायिक संसाधन मानचित्रण;
ग) समय उपयोग विश्लेषण ;
घ) सम्पत्ति स्तरीकरण (Wealth Ranking) आदि।

उक्त और अन्य संसाधनों का उपयोग करके समुदाय को अपने एम0एण्ड0ई0 की योजना का विकास करना चाहिए। इस योजना के अंग के रूप में उसे यह मालूम होना चाहिए कि गांव वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से किन किन निवेशों की, कितने समय तक के लिए किस प्रकार के स्टाफ की अपेक्षा कर सकता है। समुदाय को परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये स्टाफ की भूमिका भी ज्ञात होनी चाहिए।

एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्लू0एस0सी0 को समय–समय पर निर्धारित प्रारूप पर सहयोगी संस्था / वी0डब्ल्यू0एस0सी0 मासिक आधार पर फील्ड कार्यक्रम की प्रगति सम्बंधी सूचना देगी। सहयोगी संस्था / वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खातों के बारे में एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्लू0एस0सी0 को मासिक आधार पर वित्तीय विवरण मुहैया करायेगी। इसके अतिरिक्त समुदाय को नियोजित और व्यक्तिगत योगदानों का भी निर्णय और अनुश्रवण करना चाहिए।

(ग) संचालन एवं रखरखाव (ओ0एण्ड0 एम0) कार्ययोजनाः–

संचालन और रखरखाव की इस योजना में परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक निवेशों के मोटे अनुमान का विवरण भी सम्मिलित है। योजना में निधि संग्रह की प्रक्रिया और संकलनीय धनराशि का भी समावेश किया जाना चाहिए, जिसमें टैपस्टैण्ड, निजी कनेक्शनों के लिए ओ ऐंड एम (O&M) धनराशि का अनुपात 1:3 होगा। ओ ऐंड एम के लिए मार्गदर्शक नियम बनाने में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समुदाय की सहायता करेगी।

संचालन एवं रखरखाव योजना में प्रत्येक परिवार से संकलित की जानेवाली धनराशि, उसकी **बारंवारता,** नामित ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता का नाम, उसका मासिक वेतन, विद्युत प्रभार, वनभूमि के पट्टे का किराया, ओ0एण्ड0एम0 निधि और ग्रामीण रखरखाव कार्यकरता को भुगतान करने के लिए संग्रह करने की जिम्मेदारियों का आंवटन सम्मिलित होना चाहिए।

समुदायों से अपेक्षा है कि वे पेयजल आपूर्ति की पूंजी लागत के 'पैकेज' में हिस्सा बटाएँगी और अपनी लागत पर सुविधाओं का स्वामित्व और रखरखाव करेंगी। एक बार स्वजलधारा परियोजना का अंग बन जाने के बाद ग्राम पंचायत को एक लिखित वचनबद्धता स्वीकार करनी होगी कि वह स्वजलधारा परियोजना के अंतर्गत सृजित और स्वामित्वीकृत परिसम्पत्तियों के संचालन व रखारखाव के प्रति न तो राजकीय निधि की आश्रित रहेगी और न ही मरम्मत पर। स्कीमों का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायत के मार्गदर्षन में एक मात्र वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की जिम्मेदारी होगी। स्थानीय स्थितियों के अनुसार संचालन व रखरखाव का निर्णय वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के मार्गदर्शन में प्रत्येक राजस्व ग्राम में निर्मित जल उपभोगता समूह को उसका पालन करना होगा। समुदाय संचालन रखरखाव की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए स्वमूल्यांकन उपरकरण का उपयोग करेगी।

7. तकनीकी योजना (विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट):–

पेयजल आपूर्ति के चुने गये विकल्प के लिए संस्था के स्टाफ द्वारा तकनीकी डिजाइन तैयार की जायेगी। एक बार डिजाइनों के बन जाने के बाद, संस्था इंजीनियरों को समुदाय के साथ इन पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यदि समुदाय कोई परिवर्तन सुझाये तो उसका समावेश कर डिजाइन में तदानुसार सुधार किया जाना चाहिए। तकनीकी योजना विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका प्रारूप डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा निर्धारित हैं।

क. पेयजल आपूर्ति स्कीम रूपरेखा कार्ययोजनाः–

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की सहायता से समुदाय एक पेयजल आपूर्ति योजना तैयार करेंगे। समुदाय यह सुनिश्चित करेगा कि पूंजी लागत के निहितार्थों को समझाते हुए समुदाय के समक्ष समस्त तकनीकी विकल्प प्रस्तुत किये जायें। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यमान स्कीम का पुनर्गठन (आवर्धन) विकल्पों में से एक होगा।

समुदाय एक विकल्प को चुनकर योजना बनायेगा। पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना में टैपस्टैंड विकल्पों और उनके निर्माण स्थल, घरेलू कनेक्शनों की स्थिति, स्रोतों की पहचान, और गुरुत्व स्कीमों की स्थिति में टेंकों, जल निकासी हेतु नाली/सोख्ता गडढ़े तथा अन्य स्कीम संरचनाओं के लगभग स्थल सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार समुदाय द्वारा अन्य विकल्पों के चुने जाने पर उन तकनीकी विकल्पों के लिए स्रोत, पम्प और/या संरचनाओं को दर्शाया जायेगा।

योजना की चर्चा में समुदाय के प्रत्येक क्लस्टर को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सहयोगी संस्था अपने अपने अभियंताओं के साथ सभी विकल्पों की चर्चा आम सहमति बैठक में करेंगें, जिसकी कार्यवाही प्रलेखित और प्रदत्त होगी, योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।
स्कीम की लागत पर पहुंचने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के प्रतिनिधिगण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय गैर–स्थानीय सामग्री (विशेष रूप से पाइप, सीमेन्ट आदि) की बाजार दरें एकत्र करेंगे।

इस व्यावहारिक (फीजिबुल) योजना के आधार पर आगे निर्माण कार्य जारी रहेगा।

(i) विस्तृत पेयजल योजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) निर्माण हेतु वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से विचार विमर्शकर आधारभूत श्रम एवं सामग्री की दरों का निर्धारण कराना।
(ii) चयनित तकनीकी विकल्प के अनुसार विस्तृत पेयजल योजना प्राक्लन (डी0पी0आर0) की संरचना करना।
(iii) DPR का ग्राम समुदाय की बैठक में अनुमोदन करवाना।
(iv) DPR का DWSC से अनुमोदन कराना।
(v) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को पेयजल योजना के बनी विस्तृत येाजना के क्रियान्वयन के लिए मांग के अनुसार स्टाफ उपलब्ध कराना
(vi) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा पेयजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यदायी संस्था का चिन्हीकरण करना।

8 पारदर्शिताः

पारदर्शिता परियोजना का प्रमाण चिह्न होने से संस्था एवं वी0डब्लू0एस0सी0 /ग्राम पंचायत सदस्य सुनिश्चित करेंगे कि:–

(i) समुदाय को संस्था, वी0डब्लू0एस0सी0 एवं एस0एम0एस0 की कार्यवाहीयों की जानकारी है
(ii) आर्थिक प्रबन्धन पारदर्शी है
(iii) संघर्षों को सौहार्दपूर्वक सुलझाया जाए
(iv) सृजनीय सुविधाओं के संचाजल एवं रखरखाव के लिए समुदाय अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करता है
(v) यथानियोजित बैठकें की जा रही हैं
(vi) निधि का प्रबन्ध किया जा रहा है
(vii) विविध परिसंपित्तयों एवं कार्यस्थलों को अंतिम रूप देने में स्वजलधारा महिला समूह के सुझाव समुचित एवं अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट रूप में स्वीकृत और संमिलित किये गये हैं।

पारदर्शिता और ग्रामीण समुदाय की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संस्था तथा वी0डब्लू0एस0सी0 दीवार लेखन करेगी। सामुदायिक केन्द्र, स्कूलों, गांव की सुस्पष्ट दीवारों आदि पर दीवार लेखन की जायगी। दीवार लेखन में संस्था स्टाफ की भूमिका और उत्तरदायित्व, पदाधिकारियों के नाम, सामुदायिक मानचित्र पूंजी, नियोजन चरण एवं निर्माण चरण में किये जाने वाले कार्य सम्मिलित रहेंगें।

9. गाँव पंचायत के स्तर पर रखरखाव किये जाने वाले प्रलेखः

सभी अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अपने एक सदस्य को सचिव के रूप में चुनेगी। सचिव की जिम्मेदारी उन अभिलेखों को update एवं पारदर्षिता अंषदान एवं ओ0एण्ड0एम0 से सम्बन्धित सूचनायें रखने की होगी।

ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को निम्नलिखित अभिलेखों का रखरखाव करना होगाः

(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के लिए बैठक रजिस्टर
(ख) आगंतुक रजिस्टर
(ग) प्रशिक्षण रजिस्टर
(घ) समुदाय की मिल्कियत वाले निर्माण कार्यों में श्रम योगदान का रजिस्टर
(ङ) वी0डब्ल्यू0एस0सी0एकाउंट के लिए डे बुक
(च) नकद योगदान का रजिस्टर
(छ) कैश बुक
(ज) लेजर
(झ) चेक जारी करने का रजिस्टर
(ळ) रसीद बुक
(ट) भुगतान वाउचर
(ठ) समुदाय अनुश्रवण क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित अभिलेखः

- सैनीटरी सर्वे
- महिला समय उपयोग विश्लेषण
- सामुदायिक मानचित्रण
- सम्पति स्तरीकरण अभ्यास (Wealth Ranking Exercise)

10. सहयोगी संस्था के स्टाफ एवं उसकी योग्यता–

(क) टीम लीटर– संस्था प्रत्येक जनपद के लिए टीम लीडर नियुक्त करेगी। टीम लीडर सामान्य रूप से सम्पूर्ण गतिविधि के संचालन का नेतृत्व करेगा। डी0डब्ल्यू0एस0सी0/एस0डब्ल्यू0एस0एम0 की बैठकों में भाग लेगा। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के साथ एवं डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के नियमित सम्पर्क में रहेगा। इसकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट, सोशल साईंस/ ग्रेजुएट के साथ किसी इन्जीनियरिंग योजना के नेतृत्व / संचालन का 5 वर्ष का सिविल अनुभव अनिवार्य है।

(ख) सामुदायिक विकास सुपरवाइजर– 06 गांव पर एक सुपरवाइजर कार्य करेगा। ग्राम पंचायत में सभी वार्डो में कलस्टर बैठक करना। सरार, सामुदायिक मानचित्रीकरण, त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन, विभिन्न प्रशिक्षण, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, महिला समूह तथा स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा इनका क्षमता संवर्धन करेगा। योग्यता ग्रेजुएट सोशल साईन्स तथा 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

(ग) सहायक अभियन्ता– 12 ग्राम पंचायत के लिए एक होगा। इसे ग्राम पंचायत में फिजिबिलिटी प्रक्रिया, तकनीकी विकल्प, सर्वे डिजाइन एवं डी0पी0आर0 निर्माण इत्यादि तकनीकी कार्य सम्पादित करना होगा। सहायक अभियन्ता बी0ई0/बी0टेक सिविल के साथ पेयजल योजना निर्माण का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(घ) जूनियर इन्जीनियर– 06 ग्राम पंचायत के लिए एक दिया गया है। इसे सहायक अभियन्ता के साथ उसे आवंटित कार्यो को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करना है।

जूनियर इन्जीनियर योग्यता सिविल डिप्लोमा, 2 वर्ष का पेयजल निर्माण का अनुभव होना अनिवार्य है।

(ड़) सामुदायिक कार्यकर्ता– एक ग्राम पंचायत के लिए एक कार्यकर्ता का प्राविधान है। यह सामान्य रूप से उसी ग्राम पंचायत का निवासी/ निवासिनी होगा। महिला कार्यकर्ता को प्राथमिकता दिया जाए। सामुदायिक कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास सुपरवाइजर के उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में सहयोग देना तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नियमित सम्पर्क रहकर योजना के उद्‌देश्यों को पूर्ण कराना है। सामुदायिक कार्यकर्ता नियोजन चरण की अवधि से ग्राम में ही निवास करेगा। इनकी योग्यता इण्टरमीडियट तथा 2 वर्ष का समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है।

(च) लेखाकार– संस्था का प्रत्येक जनपद हेतु एक लेखाकार दिया गया है, जो संस्था को प्राप्त धनराशि के उपयोग एवं व्यय विवरण का लेखा रखेगा। संस्था के स्थानीय पते पर इसकी उपलब्धता बनी रहेगी तथा ऑडिट इत्यादि का पूर्ण करायेगा। लेखाकार की योग्यता बी0काम0 तथा दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

11. रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएँ:–

संस्था से अपेक्षा रह्रेगी कि डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित होने वाले प्रारूप पर माहवार रिपोर्टे तैयार कर प्रस्तुत करें । इस प्रारूप को राजस्व ग्रामवार भरना होगा । (एम0आई0एस0) इस मासिक सूचना प्रारूप से प्राप्त सूचना का उपयोग करेगी । मासिक रिपोर्ट इस एम0आई0एस0 से तैयार की जाती हैं।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं एस0एम0एस0 के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा है कि जब और जैसे आवश्यकता हो परियोजना समीक्षाओं में भी उपस्थित रहें। एस0डब्ल्यू0एस0एम0/ डी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्रशिक्षण का आयोजन करेंगी, और सामुदायिक सहभागी क्रियाकलापों पर व्यापक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेंगी व फील्ड विजिटों द्वारा कार्य की समीक्षा की व्यवस्था करेंगी। सहयोगी संस्था डी0डब्ल्यू0एस0सी0 अध्ययन अथवा अन्य संबद्व क्रियाकलापों के संचालन के लिए एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा नियुक्त अन्य एजेन्सियों को भी सहयोग करेंगी। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 (जब आवश्यकता होगी तब) संस्था एवं अन्य एजेन्सियों के साथ प्रगति और समस्याओं की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए एक समन्वयन बैठक का आयोजन करेंगी। ये बैठकें सहयोगी संस्था तथा वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए भी उपयुक्त सिद्व होंगी।

स्वजलधारा परियोजना
क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध
अनुबन्ध संख्या ....
दिनांक ....

(क) प्रस्तावना

1. अनुबन्ध के पक्षकार :
यह (1) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत.......................... विकास खण्ड .... जनपद .... जिसे इसके आगे वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कहा जायेगा और (2) जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जिसे इसके आगे डी0डब्ल्यू0एस0सी0 कहा जायेगा, के बीच अनुबन्ध को पुष्ट करने के लिए है।

2. कार्यक्षेत्र
दोनों पक्षकार अनुबन्ध, कियान्वयन चरण क्रियाकलाप विवरण (डी0ओ0ए0) तथा स्वीकृत क्रियान्व्यन चरण प्रस्ताव (आई0पी0पी0) के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हैं। ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति के क्रियान्यवन चरण के क्रियाकलापों को सम्पादित कराने में निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी (सी0एस0ए0)/ डी0डब्ल्यू0एस0सी0 सहयोग करेगी। आई0पी0पी0 एवं डी0ओ0ए0 अनुबन्ध के अविभाज्य अंग है और अतः सभी पक्षकारों पर बन्धन है।

3. अनुबन्ध की अवधि
वी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्रभावी तिथि से तुरन्त कार्य प्रारम्भ करेगी/ कार्य प्रारम्भ कर चुकी है। अनुबन्ध के अधीन समस्त क्रियाकलाप प्रभावी तिथि से .... माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लिये जाएंगे। प्रभावी तिथि .... है।

(ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के निवेश और उत्तरदायित्व

4. डी0ओ0ए और आइ0पी00पी में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रबन्धन :
डी0ओ0ए0 तथा आइ0पी0पी0 में विनिर्दष्ट समस्त क्रियाकलाप को सहमत समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 उत्तरदायी होगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0को डी0ओ0ए0 के अनुसार प्रशासकीय खर्च (ओवर हैड) प्रदान किया जायेगा।

5. स्कीम के निर्माण कार्य और समुदाय सशक्तिकरण किया कलाप का प्रबन्धन :
निर्माण और समुदाय सशक्तिकरण क्रियाकलाप के समग्र क्रियान्व्यन के लिए पंचायत वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ उत्तरदायी होगी। निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जिसे इसके आगे डी0पी0आर0 कहा जायेगा, किया जायेगा। समुदाय सशाक्तिकरण क्रियाकलापों का क्रियान्वयन आइ0पी0पी0 के अनुसार किया जाना है।

6. संतोषजनक गुणवत्ता की सामग्रियों के कय और भण्डारण का प्रबन्धन :

डी0ओ0ए0 में नियत रूप में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सामग्रियों के कय व भण्डारण के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी।

7. स्वजलधारा निधियों का संचालन :

स्वजलधारा परियोजना से प्राप्त निधियों को एक अलग बैंक खाते में, जिसे इसके आगे स्वजलधारा खाता कहा जायेगा, जमा किया जायेगा, जिसका संचालन, अध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं कोषाध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के द्वारा किया जायेगा। एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के निर्देशों और मानक लेखा व्यवहारों के अनुसार स्वजलधारा परियोजना से प्राप्त निधियों के लिए अध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं कोषाध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एक अलग लेजर रखेंगे और विविध शीर्षकों / मदों के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों के लिए पृथक लेजरों का रखरखाव करेंगे।
एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्ल्यू0एस0सी0से प्राप्त निधियों, किये गये व्ययों तथा अवशेषों के प्रति समर्थक प्रलेखो का रखरखाव वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सुनिश्चित करेगी। व्यय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किए गए समर्थक प्रलेखों के सत्यापन के रूप में कियान्वयन का प्रकार सुनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे प्रलेखों में डी0डब्ल्यू0एस0सी0से प्राप्त परियोजना सम्बद्व निधि की स्थिति का स्पष्ट संकेत होना, चाहिए। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा वी0डब्ल्यू0एस0सी0 स्वजलधारा ओ0एण्ड0एम0 एकाउंट (वी0डब्ल्यू0एस0सी0 नाम) से एक अलग बैंक खाता संचालित किया जायेगा।

8. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को डी0डब्ल्यू0एस0सी0 का सहयोग :

(क) कियान्वयन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अपनी सभी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को ठीक–ठीक समझ सके, इसके लिए डी0डब्ल्यू0एस0सी0 जिम्मेदार होगी।

(ख) निर्माण के दौरान होनेवाली किसी दुर्घटना से उत्पन्न किसी परिणाम के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 उत्तरदायी होगी।

9. निवेश और प्रगति का अनुश्रवण :

कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा एस0डब्लू0एस0एम0 को यथा समय सही रिपोर्टें प्रेषित करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ डी0डब्ल्यू0एस0सी0 / सी0एस0ए0 की जिम्मेदारी होगी।
वी0डब्ल्यू0एस0सी0 / एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्ल्यू0एस0सी0 / सी0एस0ए0 स्टाफ द्वारा अपनी विज़िटों के प्रलेखनार्थ वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एक ग्राम विज़िट रजिस्टर का रखरखाव करेगी। किसी गंभीर समस्या के उत्पन्न होने पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0, एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्ल्यू0एस0सी0को अवगत कराएगी।

10. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा स्टाफ का निवेश :

(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा डी0ओ0ए0 में विनिर्दिष्ट कियाकलाप को कियाान्वित करने के लिए एक सामुदायिक टेकनीशियन रखेगी , और इस स्टाफ द्वारा डी0ओ0ए0 में उल्लिखित कर्तव्यों का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(ख) न्यूनतम मजदूरी एक्ट, लेबर एक्ट व अन्य प्रासंगिक एक्टों के परिपालन को सुनिश्चित करना पंचायत / वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का दायित्व होगा।

11. निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण:

योजना के निर्माण के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए डी0डब्ल्यू0एस0सी0 एजेन्सी को अधिकृत करेगी। सी0एस0ए0 के जूनियर इंजीनियर एवं सीनियर इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्माण सामग्रिया एस0डब्लू0एस0एम0 / डी0डब्लू0एस0सी0 के मानकों के अनुसार हो, प्रोफार्मा या उधार बीजको में निर्दिष्ट ब्रांडनेम की हो और निर्माण कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार, सहमत समय के अन्दर कारीगरी के उच्च मानकों के अनुसार किये जाये। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 डी0ओ0ए0 में निर्धारित आवश्यक बीमा आच्छादन सुनिश्चित करेगी।

12. कार्य अवधिः

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रथम किश्त के समस्त कार्य निम्नानुसार स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुरूप किये जाने हैं–

- ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रथम किश्त के निम्न कार्य धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 02 माह के भीतर पूर्ण कराने होंगे–

प्रथम किश्त के कार्यः

- ➢ नलकूप की बोरिंग पूर्ण कराना, नलकूप की क्षमता की जांच तथा स्ट्रेटाचार्ट तैयार करना।
- ➢ नलकूप से प्राप्त पानी की जांच। मानक गुणवत्ता का जल प्राप्त होने पर अन्य कार्य कराये जायेंगे।
- ➢ पम्पहाउस का निर्माण
- ➢ पम्पिंग प्लान्ट का अधिष्ठापन
- ➢ राइजिंग मेन
- ➢ उपरोक्त कार्यो के पश्चात धनराशि अवशेष होने पर वितरण प्रणाली के पाइप एवं वाल्वों को क्रय करना।

- ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को द्वितीय किश्त के निम्न कार्य धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 03 माह के भीतर पूर्ण कराने होंगे–

द्वितीय किश्त के कार्य

- ➢ विद्युत संयोजन
- ➢ वितरण प्रणाली का कार्य
- ➢ जलाशय का कार्य
- ➢ क्लोरीनेटर का कार्य
- ➢ पेयजल आपूति चालू करना

तृतीय किश्त के कार्य

- ➢ समस्त अवशेष कार्य

- यदि प्रथम किश्त की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से 02 माह के भीतर प्रयोग नहीं की जाती है तो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रथम किश्त वापस करनी होगी।
- द्वितीय किश्त प्राप्त लेने की तिथि से 03 माह के भीतर प्रयोग में न आने पर प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को वापस करनी होगी। अर्थात समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा में कराया जाना अनिवार्य होगा।
- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से समस्त अभिलेख प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(ग) डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के निवेश और उत्तरदायित्व

13. डी0डब्ल्यू0एस0सी0

(क) निर्धारित शर्तो के पूरे होने की स्थिति में सभी भुगतान समय पर करेगी।

(ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ सम्पर्क करने के लिए एक अधिकारी/विशेषज्ञ को पोर्टफोलियों मैनेजर के रूप में नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) समुदायों को प्रशिक्षण प्रदान करने योग्य बनाने के लिए डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा नियुक्त अपने स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(घ) निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी नियुक्त करेगा।

(ड) अनुबन्ध से सम्बन्धित अभिलेखों का स्वतंत्र आडिट करने हेतु एक आडिटर की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होगी।

(च) लागत योगदान।

14. अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि :

क्रियान्वयन चरण की कुल लागत रू0 .... मात्र है। इस धनराशि में इस अनुबन्ध में उल्लिखत समस्त क्रियाकलापों की लागत नकद एवं श्रम दोनों में सम्मिलित है।

15. अनुबन्ध की कुल धनराशि में कमशः समुदाय और डी0डब्ल्यू0एस0सी0 का अंशदान :

कमश : योगदान	**धनराशि (रू0)**
समुदाय का	
डी0डब्ल्यू0एस0सी0 का	
योग	

समुदाय द्वारा किया जाने वाला सामुदायिक योगदान नकद या/और श्रम दोनों में हो सकता है। इसमें नकद का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत होगा।

(घ) 16. डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रकार :

डी0डब्ल्यू0एस0सी0 अंशदान का भुगतान वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के खाते में किया जायेगा।

अंशदान	**धनराशि (रू0)**
वी0डब्ल्यू0एस0सी0के खाते में	

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से आशा की जाती है कि वह निर्धारित तिथि से पहले भुगतान की शर्तों को पूरा कर डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को दावे की जांच के लिए पर्याप्त समय देते हुए सम्बन्धित डी0डब्ल्यू0एस0सी0को अपना दावा सौंपेगी। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 भुगतान की प्रत्येक शर्त पूरी कर के प्रत्येक भुगतान के प्रति अपना पूर्ण दावा प्रस्तुत करें। फिर भी सदस्य सचिव, डी0डब्लू0एस0सी0 भुगतान को किन्ही शर्तों के अपूर्ण रह जाने या आंशिक रूप से पूर्ण होने के प्रति आवश्यक भुगतान रोक कर आंशिक भुगतान जारी करने के लिए डी0डब्ल्यू0एस0सी0को संस्तुति करने हेतु अधिकृत हैं।

(ड) 17. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खाते में भुगतानः

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खाते में देय कुल धनराशि तीन भुगतानों में विभाजित होगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के खाते में दी जाने वाली धनराशि में क्रियान्वयन स्टाफ का वेतन और यात्रा व्यय, निर्माण क्रियाकलाप, समुदाय सशक्तिकरण क्रियाकलाप और वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के प्रशासकीय व्यय सम्मिलित होंगे।

डी0ओ0ए0 के पैरा 8 (i) के आधार पर संगठित देय धनराशियां निम्नवत् होंगी :

भुगतान	धनराशि	कुल धनराशि का प्रतिशत
भुगतान # 1		
भुगतान # 2		
भुगतान # 3		बकाया
योग		**100%**

(च) भुगतान की सारिणी

18. भुगतान की सारिणी नीचे दी गई है :

भुगतान	जब या जिसके लगभग भुगतान किया जाना है
भुगतान # 1	
भुगतान # 2	
भुगतान # 3	
योग	

निदेशक, एस0डब्लू0एस0एम0 या अध्यक्ष, डी0डब्ल्यू0एस0सी0 निर्माण कियाकलाप के संदर्भ में गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त सारणी में अपवादों पर विचार कर सकते है। पोर्टफोलियों मैनेजर की रिपोर्टों के आधार पर सदोष निर्माण कार्य अथवा निर्माण कियाकलाप एवं समुदाय सशक्तिकरण कियाकलाप की न्यूनतम उपलब्धियों के दृष्टिगत अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0सी0 कोई भाग काट या रोक सकता है। फिर भी, रोकी गयी धनराशि देय होने की स्थिति में अगले भुगतान में सम्मिलित कर दी जायगी या अलग से दे दी जायगी।

(छ) भुगतान #1 #2 और #3 की शर्तें

19. भुगतान #1 की शर्तें

भुगतान #1 की निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा :

(i.) अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हो चुके हों।

(ii.) भुगतान की औपचारिक मांग निर्धारित प्रपत्र पर डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को प्राप्त हो गई हो।

(iii.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने डी0ओ0ए0 में विनिर्देशित स्टाफ की नियुक्ति के प्रमाण के रूप में विधिवत् सत्यापित संतोषजनक प्रलेख दाखिल किया हो।

(iv.) डी0पी0आर0 में उल्लिखित कुल सामुदायिक अंशदान का कम से कम 50 प्रतिशत जमा होने का प्रलेख दाखिल किया हो।

20. भुगतान #2 की शर्तें

(i.) निर्धारित प्रपत्र पर भुगतान की औपचारिक मांग डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को प्राप्त हो।

(ii.) भुगतान के संदर्भ में डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निर्धारित फार्मेट में व्यय–विवरण प्राप्त हो और भुगतान #1 के बदले किया गया व्यय कुल भुगतान के 80% से कम न हो।

(iii.) प्रथम किश्त की धनराशि के ऑडिट के पश्चात ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(iv.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने नियमित रूप से संतोषजनक मासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल की हों।

(v.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने स्टाफ कें वेतन भुगतान का प्रमाण दाखिल किया हो।

(vi.) आई0पी0पी0 के अनुसार निम्न कियाकलाप पूरे कर लिए गए है :
(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कार्यशाला।
(ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कोषाध्यक्ष प्रशिक्षण, और

(vi.) निम्नलिखित सामुदायिक विकास कियाकलाप शुरू हो चुके है।
(क) ग्रामीण रखरखाव कार्यकता (वी0एम0डब्लू0) का प्रशिक्षण।

(vii.) गांव के प्रमुख स्थलों पर स्कीम विषयक दीवार लेखन किया जा चुका हो।

(viii.) बकाया सामुदायिक योगदान, यदि कुछ है तो, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खाते में उसके अंतरण का प्रमाण डी0डब्ल्यू0एस0सी0को प्राप्त हो।

(ix.) एक वर्ष के ओ0 एण्ड एम0 आवश्यकता के बकाये तथा सामुदायिक योगदान को, यदि है तो, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के सम्बंधित खातों में जमा कर दिये जाने सम्बन्धी बैंक का स्टेटमेंट दाखिल किया गया हो।

(x.) निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो कि निर्माण कियाकलाप प्रारूप या उधार बीजक में विनिर्दिष्ट ब्रांड नामवाली सामग्रियों के उपयोग से ही सम्पन्न किए गए है।

(xi.) निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो कि निर्माण कियाकलाप उपलब्ध माइल स्टोनों के दृष्टिगत डी0पी0आर0 के अनुसार है।

(xii.) निर्धारित प्रपत्र पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जो निर्माण पर्यवेक्षण करनेवाली कियान्वयन एजेन्सी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित हो, कि सभी सामग्रियाँ और उपकरण कय कर ली गयी है, भण्डार में प्राप्त करा दी गयी है, भण्डार रजिस्टर में दर्ज कर ली गयी है और उनका समुचित उपयोग हो रहा है।

(xiii.) निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री एवं पर्यवेक्षण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करनेवाली कियान्वयन एजेन्सी या अन्यथा स्थिति में डी0डब्ल्यू0एस0सी0की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हो। (पर्यवेक्षण ऐजेन्सी आधार पर कटौती की जा सकती है)।

(xiv.) निर्माण पर्यवेक्षण करनेवाली एजेन्सी द्वारा, इंगित त्रुटियों पर ध्यान दिया गया हो।

(xv.) डी0पी0आर0 में सूचीबद्ध सभी गैर – स्थानीय सामग्रियों और उपकरणों के प्रोफार्मा या उधार बीजक जिनमें ब्रांड नाम, सामग्री और उपकरण की मात्रा और मदों के इकाई मूल्य वही है, जो डी0पी0आर0 में सूचीबद्ध है, डी0डब्ल्यू0एस0सी0को

प्राप्त और उसके द्वारा स्वीकृत हो चुके हो। (डी0पी0आर0 में विनिर्देशित पाइपों के ब्रडंनाम को बदलने की छूट कदापि नही दी जायगी)।

(xvi.) पर्यवेक्षण ऐजेन्सी के इंजीनियर द्वारा वर्क ऐब्स्ट्रैक्ट एवं वर्क एकांउट (कार्य सार व कार्य लेखा) के संतोषजनक रखरखाव के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

21. भुगतान #3 की शर्तेः

(i.) निर्धारित प्रपत्र पर भुगतान की औपचारिक मांग डी0डब्ल्यू0एस0सी0के माध्यम से डी0डब्ल्यू0एस0सी0को को प्राप्त हो।

(ii.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने संतोषजनक मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की हो।

(iii.) डी0डब्ल्यू0एस0सी0को संतोषजनक वित्तीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो।

(iv.) डी0डब्ल्यू0एस0सी0को निर्धारित फार्मैट पर व्यय विवरण (अंतिम लेखा) प्राप्त हो चुका है और सभी भुगतान के प्रति किया गया व्यय 100% है, और यदि कुछ बकाया रहा है, तो उसे समायोजित/प्रत्यर्पित कर दिया गया है।

(v.) निर्माण करने वाली एजेन्सी अथवा ठेकेदार को चेक द्वारा या एजेंसी के बैंक एकाउंट में सीधे अंतरण के द्वारा भुगतान किए जाने का प्रमाण।

(vi.) डी0ओ0ए0 में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली एजेन्सी द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्माण कार्य में विचलन का अद्यतन विवरण डी0डब्ल्यू0एस0सी0को प्राप्त हो।

(vii.) निर्धारित प्रपत्र पर पर्यवेक्षण ऐजेन्सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो कि सभी निर्माण क्रियाकलाप डी0पी0आर में दी गई ड्राइगं, डिज़ाइन और विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किए गए है।

(viii.) निर्माण पर्यवेक्षण एजेन्सी का इस आशय का प्रमाण पत्र डी0डब्ल्यू0एस0सी0को मिल चुका हो, कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी गैर स्थानीय सामग्रियां अपने – अपने प्रारूप या उधार बीजक मं उल्लिखित ब्रांड नामवाली ही हैं।

(ix.) निर्धारित प्रपत्र पर डी0डब्ल्यू0एस0सी0को क्रियान्वयन चरण समापन की रिपोर्ट (आइ0पी0सी0आर) प्राप्त और स्वीकृत हो।

(x.) निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी द्वारा इंगित त्रुटियां दूर कर दी गई हो।

(xi.) निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के विषय में निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी की संतोषजनक अद्यतन रिपोर्ट डी0डब्ल्यू0एस0सी0को प्राप्त हो।

निम्न शर्तों के पूरे होने की स्थिति में डी0डब्लू0एस0सी0 आंशिक भुगतान कर सकता हैः–

(i.) निर्धारित प्रपत्र पर भुगतान एक तथा दो के सम्बन्ध के किए गए व्यय का विवरण डी0डब्ल्यू0एस0सी0द्वारा प्राप्त किया जा चुका है तथा भुगतान एक के प्रति किया गया व्यय 100% एवं भुगतान दो के प्रति किया गया व्यय 90% से कम नही है।

(ii.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने निम्न प्रलेख प्रस्तुत किए है :–

(क) जिन क्रियाकलापों को पूरा नही किया जा सका है आवश्यक निधि सहित उनके विवरण एवं भुगतानों के सम्बन्ध में किए गए व्यय का विवरण।

(ख) एक वर्ष के ओ0एण्ड एम0 का बकाया सामूहिक योगदान, यदि कुछ है, तो उसे वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के ओ0एण्ड एम0 एकाउंट में जमा कर दिया गया है, इस आशय का बैंक स्टेटमेंट।

(iii.) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने प्रमाणित किया है कि निम्न क्रियाकलाप संतोषजनक रूप से पूरे किए जा चुके हैः

(क) लागत पूंजी के प्रति सामुदायिक योगदान का संग्रह कर लिया गया है।

(ख) क्रास विजिट की जा चुकी है।

(ग) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सदस्यों और एकाउंटेंट को रिफ्रेशर प्रशिक्षण।

(घ) वी0एम0डब्लू0 को रिफ्रेशन प्रशिक्षण।

(iv.) डी0ओ0ए0 में उल्लिखत प्रारूप पर निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी द्वारा विधिवत सत्यापित उस तिथि तक किए गए निर्माण में परिवर्तन का विवरण डी0डब्ल्यू0एस0सी0को प्राप्त है।

(v.) निर्धारित प्रपत्र पर पर्यवेक्षण ऐजेन्सी का प्रमाण पत्र कि समस्त निर्माण क्रियाकलाप डी0पी0आर0 की ड्राइंग, डिजाइन और विनिर्देशों के अनुसार कराए गए है।

(vi.) निर्धारित प्रपत्र पर पर्यवेक्षण ऐजेन्सी के इंजीनियर का इस आशय का प्रमाण पत्र डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को मिल चुका हो कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सभी गैर–स्थानीय सामग्रियां उनके अपने प्रारूप या उधार बीजक में उल्लिखित ब्रांड नाम वाले ही है।

(vii.) डी0डब्ल्यू0एस0सी0को निर्धारित प्रपत्र पर पत्रांकित तिथि तक क्रियान्वयन चरण समापन रिपोर्ट (आइ0पी0सी0आर0) प्राप्त है और स्वीकृत है।

(viii.) निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी द्वारा, दर्शायी गई सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया हो।

(ix.) निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री एवं पर्यवेक्षण की गुणवत्ता के विषय में निर्माण पर्यवेक्षण ऐजेन्सी की अद्यतन संतोषजनक रिपोर्ट डी0डब्ल्यू0एस0सी0को प्राप्त हो, और

(x.) पर्यवेक्षण ऐजेन्सी के इंजीनियर द्वारा कार्य सार एवं कार्य लेखा के संतोषजनक रखरखाव के सम्बन्ध में एजेन्सी का प्रमाण पत्र हो।

आई0पी0सी0आर0:

सम्बन्धित निर्माण कार्यो की आई0पी0सी0आर0 उपलब्ध कराने के पश्चात ही तदनुसार अन्तिम लेखा समायोजन किया जायेगा।

22. (ओ0एण्ड एम0):

परियोजना के अंतर्गत सृजित और स्वामित्व में प्राप्त परिसम्पतियों के ओ0एण्ड एम0 की प्रणालियों की स्थापना के लिए पर्यवेक्षण ऐजेन्सी के सहयोग से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कार्य करेगी, ।

ज) अतिरिक्त लागत और बचत

23. अतिरिक्त लागत :

(i) एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और मानक के अनुरूप न होने अथवा प्रोफार्मा का उधार बीजक में उल्लिखित ब्रांडनाम वाली न होने के कारण सामग्रियों के बदले जाने की आवश्यकता में या/और निर्माण की गुणवत्ता की घटिया निगरानी के कारण उठाए गए अतिरिक्त व्यय का भार, यदि कुछ हो, तो वी0डब्ल्यू0एस0सी0 उसका वहन करेगी।

(ii) पर्यवेक्षण ऐजेन्सी द्वारा दर्शायी गयी त्रुटियों को दूर करने का व्यय वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का होगा।

(iii) अनुबन्ध में उल्लिखित क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए यदि अनुमोदित बजट की धनराशि से अधिक व्यय करना पड़ जाय तो उस अतिरिक्त धनराशि का वहन वी0डब्ल्यू0एस0सी0 करेगी।

24. यदि वी0डब्ल्यू0एस0सी0 संतोषजनक रूप से अनुबन्ध की शर्तो या डी0डब्लू0एस0सी0 की अपेक्षा के अनुसार अपने कार्यो का सम्पादन करने में पूर्णतः या अंशतः असमर्थ रहती है, जिसका निर्णय निदेशक एस0डब्लू0एस0एम0 करेंगे, तो ऐसी धनराशि वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से वसूल की जा सकेगी।

25. बचत या बकाया :

क्रियान्वयन चरण के समापन पर, जब सारे क्रियाकलाप पूरे हो चुके हो, यदि वी0डब्ल्यू0एस0सी0खाते में कुछ स्वजलधारा को धन शेष रह गया हो, तो वह धन और उपयोग में न लायी गयी सामग्री का मूल्य डी0डब्ल्यू0एस0सी0को वापस किया जायेगा। अतिरिक्त सामग्री का निपटारा डी0ओ0ए0 में निर्दिष्ट रूप में किया जायेगा।

(झ) कर

26. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अनुपालनीय कानूनो के तहत देय समस्त करों, महसूलों शुल्कों, उगाहियों व अन्य थोपे गये करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ञ) पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :

27. पर्यवेक्षण और अनुश्रवण :

अनुबन्ध की अवधि में कार्य स्थल पर कार्य की प्रगति का अनुश्रवण और निर्माण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक, एस0डब्लू0एस0एम0 अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या संस्था अधिकृत होगी। निदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई दल कार्यस्थल अथवा पंचायत/वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के कार्यालयों में जाकर निरीक्षण कर सकता है। पंचायत/वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का यह कर्तव्य होगा कि वह निदेशक अथवा उसके प्रतिनिधि के साथ ऐसे क्रियाकलापों में सहयोग करें और उनके अवलोकनार्थ आवश्यक प्रलेखों को प्रस्तुत करे। निदेशक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा दर्शित त्रृटियों में तत्काल सुधार करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0का दायित्व होगा।

28. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 रिपोर्टिंग :

डी0डब्ल्यू0एस0सी0द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन व अनुश्रवण क्रियाकलाप को हाथ में लेना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के लिए अनिवार्य होगा।

29. सूचना तक पहुँच :

एस0डब्लू0एस0एम0 निदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी दल को इस अनुबन्ध और परियोजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं और प्रलेखों को देखने का अधिकार होगा। एस0डब्लू0एस0एम0 निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि जैसे और जब इन प्रलेखों की मांग करें, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को उन्हे उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

30. परियोजना क्षेत्र में अध्ययन :

परियोजना क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए निदेशक एस0डब्लू0एस0एम0 अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य दल अधिकृत होगा। इन क्रियाकलापों में एस0डब्लू0एस0एम0 निदेशक अथवा उसके प्रतिनिधि के साथ सहयोग करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का कर्तव्य होगा।

31. लेखा पुस्तकों का रखरखाव :

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 यह सुनिश्चित करेगी कि लेखा पुस्तकों का रखरखाव डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के दिशा – निर्देश और मानक लेखा विधि के अनुसार हो। वी0डब्ल्यू0एस0सी0यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तुत अनुबन्ध के तहत किये गये भुगतानों से सम्बन्धित लेखा पुस्तके कार्य स्थल पर रखी जायें, उनका हिसाब –किताब ठीक हो तथा वे फील्ड विजिटों के समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों। वी0डब्ल्यू0एस0सी0यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह इन लेखाओं कि स्थिति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे और सामुदायिक बैठकों के दौरान इस लेखा के विषय में आवश्यक जानकारियां दे।

32. वित्तीय आडिट

भुगतान 2 के देय होने के तत्काल बाद वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के खातों का पहला आडिट होगा। दूसरा और अंतिम आडिट भुगतान 3 के पहले किया जायेगा। एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के समक्ष वी0डब्ल्यू0एस0सी0 इन लेखाओं से सम्बन्धित समस्त खाते, प्रलेख एवं अभिलेख उपस्थित करेगी। निदेशक एस0डब्लू0एस0एम0 अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई दल भी वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के समस्त खातों की जांच और/या आडिट करने के लिए अधिकृत होगा।

33. आडिट या डी0डब्ल्यू0एस0सी0 जिस किसी व्यय को इस अनुबन्ध और क्रियाकलाप के विवरण की सीमा के बाहर पायेगी, उस व्यय को परियोजना का व्यय नही माना जायेगा और उस व्यय का वहन वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को ही करना होगा।

34. तकनीकी आडिट

अनुबन्ध के अंतर्गत किये गये निर्माण कोर्यो की तकनीकी आडिट एस0डब्लू0एस0एम0 स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई सर्विस एजेन्सी करेगी। तकनीकी आडिट यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार ही पूरे किये गये है।

(ट) अनुबन्ध में संशोधन

35. अनुबन्ध संशोधन :

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और एस0डब्लू0एस0एम0 की सहमति से इस अनुबन्ध में ऐसे आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किये जा सकते है, जिसे डी0डब्ल्यू0एस0सी0के हिस्से में कुल 5% तक की वृद्वि सम्मिलित हो। सहमति से किये गये ऐसे परिवर्तनों का लिखित प्रलेखन आवश्यक होगा। योग्यता के आधार पर ऐसी वृद्वियां तभी की जायेंगी, जब गलतियां खरी हो और/ या पहले से नामालूम घटनाओं ने इस प्रकार की वृद्वि की आवश्यकता उत्पन्न की हो। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली वृद्वि पर विचार नही किया जायेगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की अक्षमता से होने वाली अतिरिक्त लागत का वहन स्वयं करना होगा।

36. डिजाइन में परिवर्तन

सिवाय उस स्थिति के, जबकि निदेशक एस0डब्लू0एस0एम0 या उसके प्रतिनिधि (गण) अग्रिम रूप से अन्यथा सहमत हों, निर्माण क्रियाकलापों के अन्तर्गत कार्य के डिजाइन में कोई संशोधन नही किया जायेगा। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए निदेशक एस0डब्लू0एस0एम0 या उनके प्रतिनिधि (गण) तब तक सहमत नहीं होंगे, जब तक कि इस बात का लिखित प्रमाण न हो, कि वी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए सहमत है।

37. निर्माण कार्य एवं सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता में कमी के सम्बन्ध में प्रावधान :

यदि एस0डब्लू0एस0एम0 या उसका प्रतिनिधि इस बात की शिनाख्त करता है कि स्कीम का कोई घटक छूट गया है या निर्माण डी0पी0आर0 में उल्लिखित मानक से घटिया मात्रा या गुणवत्ता का है तो डी0डब्ल्यू0एस0सी0 भुगतान रोक लेगी।

(ठ) अनुबन्ध का समापन, उपचारात्मक उपाय और विवादों को समाघान

38. अनुबन्ध का समापन :

(i) डी0डब्ल्यू0एस0सी0को यह अधिकार होगा कि इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के बाद अनुबन्ध को समाप्त कर दे और/या शेष भुगतानों का निर्गम रोक दें, यदि ज्ञात हो कि :

(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के घटिया सहयोग/कार्य के कारण अनुबन्ध को संतोषजनक रूप से पूरा नही किया जा सकता।

(ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा दी गयी जानकारी पूर्व अपेक्षित सूचना नही थी और डी0डब्ल्यू0एस0सी0को भटका देने की नीयत से दी गयी थी।

(ग) स्कीम के लिए उद्दिष्ट निधि और सामग्री की दुर्व्यवस्था है।

(घ) क्रियान्वयन चरण क्रियाकलाप में लाभर्थियों की प्रभावी भागीदारी नही है।

(ड़) प्रस्तावित स्रोत (स्रोतो) में एक विवादित है, जिसका समाधान नही हो सकता।

(च) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समय पर प्रगति रिपोर्टें और वित्तीय विवरण देने में असफल है।

(छ) प्रस्तावित सामग्रियां और उनके ब्रांड नाम पूर्व स्वीकृत से भिन्न है।

(ज) निर्मित संरचनाएं डी0पी0आर0 में तय शुदा से अलग है।

(झ) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 28 दिनों तक इसमें अधिक दिनों तक काम बंद रखती है, जबकि अनुबन्ध अथवा डी0डब्ल्यू0एस0सी0उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत नही करता।

(ञ) यदि डी0डब्ल्यू0एस0सी0 अथवा उनका प्रतिनिधि इस आशय की नोटिस देता है कि निर्दिष्ट त्रुटि को न सुधारना अनुबन्ध का उल्लंघन है और वी0डब्ल्यू0एस0सी0 डी0डब्ल्यू0एस0सी0द्वारा निर्धारित वाजिब अवधि में उक्त त्रृटि को सुधारने में असफल रहती है।

(ii) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को अनुबन्ध समापन का अधिकार होगा यदि :

(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा भुगतान की आवश्यक शर्तों को पूरी कर लेने के बावजूद डी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने अपनी किस्तों, का भुगतान समय पर नही किया।
(ख) डी0डब्ल्यू0एस0सी0 ने पोर्टफोलियो मैनेजर की नियुक्ति नही की,
(ग) डी0डब्ल्यू0एस0सी0ने प्रशिक्षणों का संचालन नही किया।

ऐसी समापन सूचना के साथ वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को संतोषजनक लेखा विवरण और डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के नाम अव्ययित अवशिष्ट धन का बैंक ड्राफ्ट भेजना होगा।

(iii) अनुबन्ध समापन के लिए अनुबन्ध के दोनों पक्षकारों को एक महीने की सकारण नोटिस देनी होगी।

39. विवाद/मध्यस्थ निर्णय :

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और डी0डब्ल्यू0एस0सी0के बीच में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर वह मामला प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन की अनन्य मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा, जो स्वयं मध्यस्थता कर सकते है अथवा किसी को नामित कर सकते है, जो उनका अधिनिर्णय देंगे, जो सभी पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। पक्षकारों के बीच सभी विवाद लखनऊ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।

(ङ) हस्ताक्षर :

40. अनुबन्ध

क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध एक प्रति में तैयार कराया गया है जिस पर सभी हस्ताक्षरियों ने हस्ताक्षर किये है। इसकी मूल प्रति डी0डब्लू0एस0सी0 के पास रहेगी, जबकि उसकी एक फोटो प्रति वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

वी0डब्ल्यू0एस0सी का अधिकृत हस्ताक्षरी	डी0डब्ल्यू0एस0सी0का अधिकृत हस्ताक्षरी
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
पता	पता
दिनांक	दिनांक
साक्षी 1	साक्षी 1

अनुलग्नक :

संलग्नक 1 : क्रियान्वयन चरण के क्रियाकलाप का विवरण।
संलग्नक 2 : लागत पत्रक।

स्वजलधारा परियोजना
निर्माण चरण कियाकलाप का विवरण
(डी0ओ0ए0)

1.0 योगदान और प्रबन्धन योजनाः

(I) सामुदायिक नकद एवं श्रम योगदान योजना

क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद डी0पी0आर0 के अनुसार आंकलित लागत पूंजी के प्रति सामुदायिक पेशगी नकद योगदान को, जिसका संग्रह पहले ही कर लिया गया है, अनुबन्ध के अनुसार पृथक वी0डब्ल्यू0एस0सी0 खाते में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा कर दिया जायेगा।

श्रम योगदान समुदाय डी0पी0आर0 में निर्धारित मानको के अनुरूप करेगा।

(II) संचालन और रखरखाव उप योजना

क्रियान्वयन चरण प्रस्ताव में वर्णित संचालन और रखरखाव की प्रभावी प्रणाली का कार्यरूप में स्थापन सुनिश्चित करना वी0डब्लू0एस0सी0 का उत्तरदायित्व होगा। ओ0एण्ड0एम0 प्रणाली को स्वस्थान में चिरस्थायी बनाने के काम में निर्माण परवेक्षण एजेन्सी समुदाय की तकनीकी सहायता करेगी।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को स्कीम के निर्माण में भावी ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता (वी0एम0डब्लू0) के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति को भी सम्मिलित करना चाहिए।

ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता प्रशिक्षण का संचालन वी0डब्ल्यू0एस0सी0 करेगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 संचालन और रखरखाव की प्रबन्धन प्रणाली की रूपरेखा बनाकर उसे चालू करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। स्कीम के संचालन और रखरखाव के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 संचालन और रखरखाव दिशा निर्देश तैयार करेगी और तद्नुसार समुदाय को प्रशिक्षित करेगी।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को समुदाय से संचालन और रखरखाव निधि की नियमित वसूली के योजनाबद्व उपाय करने चाहिए। जलापूर्ति प्रणाली के समादेशन से पहले, संचालन और रखरखाव की एक वर्ष की लागत धनराशि, पेशगी सामदायिक योगदान के रूप में एकत्र कर लेनी है।

निर्माण के पूर्ण हो चुकने पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 योजना के संचालन और रखरखाव पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

सामुदायिक स्वामित्व की सुविधाएँ:

प्रतिभागी ग्राम सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के शत प्रतिशत व्यय का वहन करेगा और यह भी तय करेगा कि सुविधाओं के संचालन और रखरखाव का कार्य कौन करेगा। नियोजन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सामुदायिक स्वामित्व की सुविधाओं के संचालन व रखरखाव के मासिक शुल्कदर का निर्धारिण करेगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 यह सुनिश्चित करेगी कि नियोजन चरण में ही एक वर्ष के संचालन व रखरखाव का शुल्क जमा हो जाए। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समय –समय पर शुल्क दर को संशोधित कर सकती है। घरेलू कनेक्शनदारों को सार्वजनिक नल के उपभोक्ताओं द्वारा देय मासिक शुल्क का कम से कम तिगुना शुल्क देय होगा। एक रखरखाव निधि की स्थापना के लिए मासिक शुल्क पर 5% अधिभार देय होगा।

संचालन एवं रखरखाव लागतों के प्रति समुदाय के योगदान को, डी0पी0आर0 में निर्दिष्ट नियमानुसार एक अलग बैंक खाते में जमा किया जायेगा, जिसे इसके बाद वी0डब्ल्यू0एस0सी0 स्वजलधारा ओ0एण्ड0एम0 एकाउंट (वी0डब्ल्यू0एस0सी0 नाम) कहा जायेगा। इस खाते का संचालन अध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और कोषाध्यक्ष, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा किया जायेगा।
इन खर्चों का वहन करने के लिए प्रणाली का समादेशन के समय से, नियमित रूप से हर तीन मास से अनधिक की आवृत्ति से मासिक शुल्क के बिल जारी होंगे। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एक, 'सदस्य–रजिस्टर' का रखरखाव करेगी जिसमें प्रतिमास प्रत्येक परिवार से की गयी मांग और धनसंग्रह की स्थिति दर्शायी जायगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अपने पास बुक के साथ एक डे– बुक भी रखेगी, जिसमें संचालन और रखरखाव लेखा की पावती और भुगतान का विवरण भी रखा जायेगा।

प्रभावी ओ0एण्ड0एम0 की स्थापना के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निम्न सुझाव दिए जाते है :—

क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को प्रत्येक परिवार से ओ0एण्ड0 एम0 व्यय संग्रह करने के लिए मासिक/त्रैमासिक/मौसमी दरें तय करनी चाहिए। गांवो के डी0पी0आर0 में दी गयी दरों से ये दरें कम न हो, यह वांछनीय है। निजी कनेक्शनवालों की दरें सार्वजनिक नल उपभोक्ताओं की दरों से कम से कम तीन गुनी होनी चाहिए। प्रत्येक वसूली की समुचित रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाय।

ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को चाहिए कि वह ओ0एण्ड एम0 व्यय के भुगतान में विलम्ब करनेवालों/वादाखिलाफों के लिए एक दण्ड की पद्वति विकसित करे। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को एक त्रैमासिक बैठक आयोजित कर उसमें उस क्षेत्र के निधि संग्रह का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें विभिन्न परिवारों से ओ0एण्ड0एम0 के जमा न किए जाने की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा की जाय।

ग) ओ0एण्ड0एम0 के निमित्त संकलित धन को एतदर्थ पहले से खोले गए बैंक खाते में जमा करना चाहिए और हाथ में न्यूनतम नकद बकाया रखना चाहिए।

घ) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को चाहिए कि शेष धन को स्थायी या दीर्घावधि जमा में निवेश कर एक आरक्षित निधि तैयार करे। इस प्रकार निवेश किए गए धन का उपयोग केवल बड़ी मरम्मतों में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए एक समुदायव्यापी बैठक (जिसकी न्यूनतम गणपूर्ति व्यसक आबादी का 20% हो जिसका 20% महिलाएं हों) में सम्पूर्ण गांव का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

ड़) ओ0एण्ड0एम0 तथा बड़ी मरम्मतों के लिए सामग्रियों का क्रय एक क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसका गठन एक समुदाय व्यापी बैठक में किया जायेगा। क्रय समिति में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और समुदाय के प्रतिनिधि लिए जा सकते है।

च) वर्ष में कम से कम एक बार समुदाय के समक्ष पावतियों और भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(III) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उप योजना

एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा समय—समय पर निर्धारित प्रारूप पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 मासिक आधार पर एस0डब्लू0एस0एम0/ डी0डब्लू0एस0सी0को फील्ड कार्यक्रम की प्रगति सम्बन्धी सूचना देगी। ओ0एण्ड0एम0 चरण (क्रियान्वयनोत्तर चरण) में परियोजना की वहनीयता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनायी जानेवाली कार्यप्रणाली के विषय में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एक रिपोर्ट तैयार करेगी।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 /ओ0एण्ड0एम0 खाते के बारे में पंचायत को मासिक आधार पर वित्तीय विवरण मुहैया करेगी।

संरचनाओं और पाइपलाइनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं उन पर रिपोर्ट करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सामुदायिक कार्यकर्ता का अनुश्रवण करेगी और उसे प्रशिक्षित करेगी।

क्रियान्वयन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष डी0डब्लू0एस0सी0की मासिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 दूसरे माह में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सदस्यों की एक क्रॉस विजिट ऐसे गांव में आयोजित करेगी, जहां निर्माण कार्य पूरे हो चुके हों, जिसमें वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इन क्रॉस विजिटों के लिए अधिक से अधिक 10 सदस्यों के लिए प्रति विजिट प्रति व्यक्ति रू0 50/— परियोजना की ओर से वित्त प्रबन्ध होगा।

2.0 तकनीकी योजना:

विस्तृत रेखाचित्रों, डिजाइनों, मात्राओं के बीजकों और वित्तीय प्रस्ताव के साथ समुदाय की रूपरेखा योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मानी जायगी। इस घटक के भावी अनुश्रवण के लिए डी0पी0आर0 संदर्भ होगा।

पाइपदार जलापूर्ति सहित सभी प्रकार की जलापूर्ति स्कीमों में निर्माण डी0पी0आर के अनुसार किया जाना चाहिए। जलापूर्ति निर्माण कार्यो की रचना को अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुसार सुनिश्चित करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की जिम्मेदारी होगी।

3.0 निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रकियाएँ:

(I) निर्माण

यह सुनिश्चित करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का दायित्व है कि तकनीकी योजना के तहत निर्माण कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार सर्वोच्च कारीगरी के साथ कराये जायें। डी0पी0आर0 में अनुमोदित तकनीकों के बिना कारण बताये और डी0डब्लू0एस0सी0की सहमति प्राप्त किये बदला न जाय।

विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्राविधिक विकल्पों के लिए निर्माण की अवधि डी0ओ0ए0 के पैरा 4 (ii) के अनुसार होगी।

हाथ में लिए जाने योग्य समस्त निर्माण कार्य को विभिन्न माइलस्टोनों के रूप में प्रतिबिम्बित किया जायेगा। इन विभिन्न माइलस्टोनों को पूरी हो चुकी इकाइयों के रूप में एक कार्य सार रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।

भविष्य में संचालन और रखरखाव की सुविधा के लिए एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा समय –समय पर निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण में विचलन का विवरण और पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों के रेखाचित्रों और रूपरेखाओं को क्रियान्वयन चरण समापन रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जायेगा। पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रणालियों में निर्माण कार्य स्रोत से शुरू होना चाहिए और नीचे मेन लाइन की ओर पाइपों को वांछित गहराई में बैठाते हुए जाना चाहिए और मुख्य पाइप की अलग अलग संरचानाओं को आवश्यकतानुसार बनाते हुए वितरण पाइप की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक निर्माण स्थल पर पानी उपलब्ध हो जाता है और इन स्थलों पर पानी ढोना नही पड़ता। उक्त निर्माण रणनीति के अन्य किसी विकल्प को डी0पी0आर0 में परिभाषित करना अनिवार्य है। यदि अन्यथा निश्चित नहीं किया गया है, तो क्रियाकलाप के इस क्रम को बदला न जाये।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से यह अपेक्षा की जाती है वह वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के सदस्यों और कलस्टर महिला समूहो को योजना की संरचनाओं के निर्माण के लिए निवेशों के आकलित परिमाण के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी देगी, जिससे टैपस्टैण्ड के कलस्टर समूह भी यह सुनिश्चित कर सकें कि संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किए गए परिमाण ठीक हैं। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और कलस्टर महिला समूहों के सदस्यों को जागरूक रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्रियां सही है और उनके मिश्रण विनिर्दिष्ट सही अनुपात में ही प्रयुक्त हुए है। मौके पर कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने के लिए निदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और अथवा संस्था अधिकृत होगी। निर्माण पर्यवेक्षण और तकनीकी आडिट करनेवाली ऐसी किसी भी एजेन्सी के साथ वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के सहयोग करेगी। निर्माण के समय घटित दुर्घटनाओं के परिणामों के लिए पंचायत/वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के साथ जिम्मेदार होगी।

श्रम के रूप में किए गए सामुदायिक योगदान का हिसाब रखने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 उपयुक्त प्रपत्र पर मस्टर रोल का रखरखाव सुनिश्चित करेगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 श्रम योगदान के मूल्य का भी आंकलन करेगी। इसके अतिरिक्त सशुल्क श्रम का हिसाब रखने के लिए भी वी0डब्ल्यू0एस0सी0 पर एक अलग मस्टर रोल का रखरखाव करेगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निर्धारित प्रपत्र पर कार्य सार तैयार करना होगा। इस सार को तैयार करने के लिए सी0एस0ए0 का इंजीनियर निर्माण क्रियाकलापों के लिए एक उप क्रियाकलापवार उपभोग रजिस्टर का रखरखाव करेंगा। इंजीनियर निर्माण कार्य सार के रखरखाव का वास्तविक परिव्यय से नियमित समाधान भी सुनिश्चित करेगा।

(II) सामग्रियों की क्रय और भण्डारण

डी0पी0आर0 में मात्राओं के बीजक, क्रय की जानेवाली मदें (सामग्री व उपकरण) और उन की लागत भी सम्मिलित होगी। सामग्री की सूची में स्थानीय सामग्री के साथ गैर स्थानीय सामग्री भी उल्लिखित होगी। मूल्य और ब्रांडनाम से परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी यदि वह एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा अनुमोदित न हो।

क्रय के सम्बन्ध में अपनायी जानेवाली प्रक्रियाएं निम्नवत् हैः–

क) निर्माण क्रियाकलाप के लिए सामग्री के लिए सामग्री क्रय करने का कार्य वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक लॉट की सामग्री को क्रय करने के लिए क्रय समिति को अधिकृत करेगी। जो सामग्रियां ISI मार्क उपलब्ध है, वे सारी सामग्रियां ISI मार्क की क्रय की जायेगी।

ख) सामग्री क्रय करने हेतु प्रोफार्मा बीजक प्राप्त करके उसे अनुमोदन के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय समिति बाजार का सर्वेक्षण कर निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति का निर्णय निर्धारित प्रपत्र पर लिया जायेगा। यदि सामग्री की लागत जलापूर्ति स्कीम की लागत के 20%

से अधिक है तो एक समुदाय व्यापी बैठक (गणपूर्ति वयस्क आबादी का 20% जिसका 20% महिलाएं होंगी) में समुदाय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। साथ ही इसका अनुमोदन डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा भी लिया जायेगा।

ग) डी0डब्लू0एस0सी0, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के प्रस्ताव तथा प्रोफार्मा बीजकों की समीक्षा करके, लागत नियंत्रण अभ्यास तैयार करेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अपनी अनापत्ति या टिप्पणी भेज देगी। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 से भुगतान प्राप्त होते ही प्रत्येक लाट की कम से कम 70 प्रतिशत सामाग्री क्रय कर ली जानी चाहिए।

घ) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और क्रय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि क्रय की गयी सामग्री डी0पी0आर0 में उल्लिखित ब्रांड की ही है।

ड) इस के बाद वी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्रोफार्मा का उधार बीजकों में उल्लिखित मदों को विक्रेताओं से प्राप्त करेगी। क्रय की जानेवाली सामग्रियों के ट्रेडमार्क नाम बदलने की अनुमति वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को नहीं होगी। असाधारण स्थितियों में ऐसे परिवर्तन करने से पहले डी0डब्लू0एस0सी0की अनुमति आवश्यक होगी। गैर स्थानीय सामग्रियों का क्रय केवल निर्माता या अधिकृत व्यापारी से ही की जायगी।

च) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की क्रय समिति आपूर्तिकर्ता से यह वचन लेगी कि जांच में असफल रहने पर वह सामग्री वापस ले लेगा।

छ) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सामग्री प्राप्ति की गारंटीदार होगी और क्रयित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सी0एस0ए0 के जूनियर इंजीनियर को सौंपेगी।

ज) कार्यस्थल पर सामग्रियों के पहुंचने पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को यह प्रमाणित करना होगा कि प्रोफार्मा/उधार बीजकों में उल्लिखित ट्रेडमार्क सामग्रियां ही आयी है और उनकी मात्रा वही है, जो बीजक में उल्लिखित है।

झ) भण्डार/स्थल पर सुपुर्द की गयी सामग्री को प्राप्त करके बीजकों से उन की जांच करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 जिम्मेदार है। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सामुदायिक तकनीशियन को भण्डारी (store keeper) का कार्य सौपेगी। सामग्री भण्डारी की देख रेख में रहेगी, जो सामग्री के लिए उपयुक्त गोदाम की व्यवस्था करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी चोरी न हो और वह क्षति या बिगाड़ से सुरक्षित रहे और सी0एस0ए0 का जूनियर इंजीनियर की गयी व्यवस्था से संतुष्ट रहे।

ल) योजना की समाप्ति पर यदि कोई सामग्री बची रहेगी तो उसका विनियोग अत्यधिक किफायतदारी से ब्रिकी द्वारा या अन्य स्कीम में अंतरित करके निपटाया जायेगा और इस बिक्री/अंतरण की आय डी0डब्लू0एस0सी0 के नाम जमा की जायगी।

(III) भण्डारण के लिए स्थान का प्रावधान

निर्माण सामग्री की समुचित देखभाल के लिए डी0पी0आर0 के अनुसार एक भण्डार के स्थान की व्यवस्था वी0डब्ल्यू0एस0सी0 करेगी।

(Iv) शिरोपरि जलाषय के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया–

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 षिरोपरि जलाषय अथवा पेयजल योजना के किसी भाग पर स्वयं निर्माण करने में यदि अक्षम रहती है तथा इसके लिए कुषल कारीगर अथवा निर्माणकर्ता की आवष्यकता महसूस करती है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य के लिए डी0पी0आर0 में दी गयी अधिकतम लागत की सीमा तक के लिए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति खुले बाजार में निविदा आमंत्रित कर सकती है। निविदा में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार प्राविधान करना होगा। इसके लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 बैठक में प्रस्ताव पारित करके स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाषित करने से पूर्व डी0डब्ल्यू0एस0सी0 से तकनीकी मार्गदर्षन प्राप्त करना उचित होगा। प्राप्त निविदा की तकनीकी समीक्षा वी0डब्ल्यू0एस0सी0 अपनी खुली बैठक में करेगी तथा प्रस्तावित कार्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम एवं कुषल पाये गये निविदा कर्ताओं की वित्तीय प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण तैयार करेगी तथा न्यूनतम निविदा मूल्य को स्वीकार किया

जायेगा। निविदा के लिए अपनायी गयी सम्पूर्ण प्रक्रिया से डी0डब्ल्यू0एस0सी0 को भी अवगत कराया जायेगा। डी0डब्ल्यू0एस0सी0 आवष्यकता अनुरूप वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को सलाह दे सकती है। लेकिन निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा लिया जायेगा। जिस निविदादाता को कार्य आदेष वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा निर्गत किया जायेगा उससे सिक्योरिटी निविदा मूल्य का 15 प्रतिषत की बैंक गारण्टी के रूप में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के पक्ष में अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी। निविदाकर्ता को भुगतान कम से कम चार चरणों में किया जायेगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु विज्ञापन का आलेख, निविदा प्रपत्र इत्यादि डी0डब्ल्यू0एस0सी0 से अनुमोदित करा लिया जाए।

4(i) प्रशासकीय ऊपरी खर्च

निर्माण सामग्री, पोस्टेज एवं स्टेशनरी क्रय करने हेतु की जानेवाली यात्राओं के व्यय तथा अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए परियोजना प्रत्येक वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निम्नवत् धन उपलब्ध कराएगी :–

क0सं0	अनुबन्ध की अवधि	प्रशासकीय ऊपरी खर्च की राशि	समुदायिक तकनीषियन का मानदेय	कुल प्रषासकिय खर्च
1	6 महीने या कम	6000/–	9000/-	15000/-
2	9 महीने	9000/–	13500/-	22500/-
3	12 महीने	12000/–	18000/-	30000/-

(II) डी0पी0आर0 में नियोजित किये गये कार्यों की लागत के आधार पर क्रियान्वयन की अधिकतम अवधि निम्नवत होगीः–

क0सं0	पाइप जलापूर्ति की लागत	क्रियान्वयन अवधि
1	रु0 15 लाख तक लागत की मिनी पाइप जलापूर्ति योजना	6 महीने
2	रु0 15 लाख से अधिक लागत की मिनी पाइप जलापूर्ति योजना	9 महीने
3	शिरोपरि जलाषय एकल ग्राम पेयजल योजना (OHT)	9 महीने

(III) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को निम्न स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध रहेगी :

क0 सं0	संवर्ग	न्यूनतम योग्यता	स्कीम की अवधि	प्रति गांव व्यक्ति माह का निवेश	परिलब्धि	मात्राएं/ ठहराव
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	सामुदायिक तकनीशियन	कक्षा 5/2 वर्ष का अनुभव तथा वरीयता समुदाय से आना	सभी प्रकार की स्कीमों के लिए	अनुबन्ध की अवधि हेतु	1500/-	

(IV) जलापूर्ति स्कीमों के समादेशन के बाद ओ0एण्ड0एम0 प्रणालियों की स्थापना के लिए निर्माण परवेक्षण एजेन्सी वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को सहयोग प्रदान करेगी।

(V) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को सी0एस0ए0 के स्टाफ का परिचय सम्पूर्ण समुदाय से कराना चाहिए और उसे यह समझा देना चाहिए कि ये गांव में किन समयावधियों में रहेंगे, उनके कर्तव्य क्या है और गांव के लोग उनसे किस प्रकार के कार्य और सेवाओं की आशा कर सकते हैं।

(VI) गाँव के प्रमुख स्थलों पर, जैसे सामुदायिक केन्द्र, स्कूल मौके की दीवार आदि पर दीवार लेखन किया जाना चाहिए। दीवार लेखन पेंटिंग में समुदाय का नक्शा, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 सदस्यों के नाम, विविध बैंक खातों की संख्याएं और उनमें बकाया धनराशि और विविध क्रियाकलाप लागत सम्मिलित होगी।

(VII) गांव के स्तर पर रखरखाव करने योग्य प्रलेख :

गांव के स्तर पर निम्न प्रलेखों का रखरखाव करना होगाः–

क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 बैठक रजिस्टर
ख) अभ्यागत रजिस्टर
ग) प्रशिक्षण रजिस्टर
घ) डी0डब्ल्यू0एस0सी0 से प्राप्त निधियों की पावती और भुगतान के लिए डे–बुक
ड) निर्माण सामग्री के लिए भण्डार रजिस्टर
च) बकायों को निश्चित करने और ओ0एण्ड एम0 शुल्क संग्रह करने के लिए रजिस्टर
छ) संचालन और रखरखाव की पावती और भुगतान का हिसाब रखने का रजिस्टर

5.0 संचालन एवं रखरखाव तंत्र की स्थापना:

जलापूर्ति स्कीमों के समादेशन के बाद सी0एस0ए0 ओ0एण्ड एम0 प्रणाली को अपने स्थान में ठीक ठाक व्यवस्थित करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 डी0डब्लू0एस0सी0को जलापूर्ति स्कीम के समादेशन की तिथि की लिखित सूचना देगी। यही दिन ओ0एण्ड0 एम0 प्रणाली की स्थापना के प्रारम्भ का पहला दिना माना जायेगा। क्रियान्वयन चरण वाले स्टाफ को ही भर्ती रखा जायेगा। ओ0 एण्ड0 एम0 प्रणालियों की स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्य/हाथ में लिये जानेवाले क्रियाकलाप नीचे सूचीबद्व है, निःशेष नही। वास्तव में हाथ में लिये जाने वाले क्रियाकलाप समुदाय की आवश्यकता और माँगो के अधीन होंगे और गाँव की सामाजिक संरचना पर निर्भर करेंगे।

(I) आर्थिक तंत्र

क) परिसम्पत्तियों के ओ0एण्ड0एम0 के लिए उदिष्ट निधियों और उनके अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण के लिए वहीखाता और लेखा विधि पद्वति की स्थापना करना।

ख) बिल जारी करने और धनसंग्रह करने के साथ ही धनसंग्रह की रसीद जारी करने के तंत्र की स्थापना करना।
ग) आरक्षित निधि का निर्माण, इस निधि का बैंक के फिक्स्ड डिपाजिट (अथवा किसी अन्य दीर्घकालीन डिपाजिट) में निवेश और एक समुदायव्यापी बैठक में अनुमोदन के बाद ही उसके निकाले जा सकने की विधि की स्थापना करना।

घ) भण्डार का रखरखाव, सामग्री की पावती और जारी करने का लेखा

(II) संस्थागत तंत्र

(क) पेयजल आपूर्ति के शुल्क संग्रह के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को संवेदनशील बनाना।
(ख) ब्रेकडाउन की शिनाख्त और रिपोर्ट करने के लिए शिकायत और संदर्भ के तंत्र।
(ग) मरम्मत का काम हाथ में लेने के लिए सामग्री क्रय करने के कार्य का आवंटन।
(घ) निरोधक एवं सुधारात्मक रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण।
(ड़) जलापूर्ति एवं स्वच्छता तंत्र, निजी कनेक्शन और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपनियम।

(III) तकनीकी तंत्र

(क) जल के नियमित क्लोरीनीकरण का तंत्र।
(ख) मरम्मत करने की जिम्मेदारी का निर्धारण।
(ग) निरोधक एवं सुधारपरक रखरखाव तंत्रों की स्थापना।
(घ) जल गुणवत्ता की निगरानी का तंत्र तथा स्वच्छता सर्वेक्षण

संचालन एवं रखरखाव तंत्र को यथास्थान स्थापित करने और डी0ओ0ए0 में नियत सभी क्रियाकलापों को पूर्ण करने के बाद क्रियान्वयन चरण अनुबंध की तार्किक परिणति गांव से डी0डब्लू0एस0सी0का 'निर्गमन' होगी। निर्गमन की स्थिति में पंचायत और डी0डब्लू0एस0सी0निम्न क्रियाकलाप को अवश्य पूरी करेंगी:

i) क्रियान्वयन चरण समापन रिपोर्टों की अनुमोदित प्रति वी0डब्ल्यू0एस0सी0 /पंचायत को सौंपना।
ii) क्रियान्वयन चरण अनुबंध की अंतिम लेखा की अनुमोदित प्रति वी0डब्ल्यू0एस0सी0 /पंचायत को सौंपना।
iii) पूर्व निर्मित जलापूर्ति स्कीमों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 /पंचायत को सौंपना।
iv) जलापूर्ति के संचालन एवं रखरखाव तथा स्वच्छता तंत्र के उपनियमों को अंतिम रूप देना।
v) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को संचालन एवं रखरखाव विषयक स्कीम के विशिष्ट इंजीनियरी पहलुओं पर (जैसे क्लोरीनीकरण का मापन, अवशिष्ट क्लोरीन का मापन) दिशा–निर्देशों का समर्पण।
vi) संचालन एवं रखरखाव चरण के आर्थिक एवं संस्थागत पहलुओं पर चर्चा के बाद उनको अंतिम रूप देना।

vii) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा शुल्कों की मांग और संग्रह का रजिस्टर, पावती और भुगतान के डे–बुक, वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कार्यवृत्त पुस्तक आदि के रखरखाव को सुनिश्चित करना।

viii) समय–समय पर एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा जारी किये गये विविध प्रलेख और मुद्रित सामग्री को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को सौंपाना।

ix) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को अंतर्देशीय पत्रों की एक गड्डी (ओ0एण्ड एम0 चरण में संप्रेष्ज्ञण सुनिशिचत करने के लिए समय समय पर निर्धारित प्रपत्र पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की ओर से डी0डब्लू0एस0सी0को संबोधित पत्र) जो एक वर्ष के लिए पर्याप्त हों, सौंपना।

x) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को विद्युत शुल्क और वनभूमि के लीज़ किराये (यदि लागू हो) की नियमित अदायगी के लिए सचेत करना।

xi) ओ0एण्ड0 एम0 चरण में स्वस्थ गृह सर्वेक्षणों और स्वयं सहायता समूह कियाकलापों को जारी रखने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को सर्तक करना।

ये कियाकलाप एक दिन भर चलनेवाले बर्हिगमन कार्यकम के अंतर्गत हाथ में लिए जाएंगे।

6.0 सामुदायिक विकास कियाकलाप से सम्बन्धित प्रकियाएँः

(I) सामुदायिक सशक्तिकरण

सामुदायिक सषक्तिरण कार्ययोजना के आधार पर डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के सहयोग से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 निर्धारित गतिविधियों का संचालन करेगी। सामुदायिक सषक्तिरण कार्ययोजना में निम्नलिखित विषयों पर डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा विषष घ्यान दिया जायेगाः–

- स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता जागरूकता के सम्बंध में निर्धारित किये गये विभिन्न कियाकलाप जैसेः– पेयजल का स्वच्छता सर्वेक्षण से सम्बंधित सत्रों का आयोजन, स्वास्थ्य धर सर्वेक्षण, स्वास्थ्य मेला, सफाई अभियान आदि।
- महिलाओ की भागीदारी सुनिष्चित करने हेतु प्रत्येक वार्ड में महिला स्वयं सहायता समूह तथा ग्राम स्तर पर स्वजलधारा महिला समूह की सामुदायिक कार्ययोजना के कियाकलापों को हाथ में लेने के लिए निम्न व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करेगी :–

- **ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता (वी0एम0डब्लू0)**

lkekU;r;k fdz;kUo;u pj.k esa dk;Zjr lkeqnkf;d rduhf’k;u dks gh oh0,e0MCY;w0 ds :Ik esa lapkyu j[kj[kko gsrq oh0MCY;w0,l0lh0 rSukr djsxh] ftls izf’kf{kr fd;k tk;sxkA bu izf'k{k.kksa ds fy, ,l0MCyw0,l0,e0 ds izf'k{k.k izfr :idksa ¼ekWM;wyksa½ dk mi;ksx fd;k tk;sxkA

7.0 प्रस्तावित प्रषिक्षण

क्रियान्वयन चरण में वी0डब्ल्यू0एस0सी0 समुदाय में निम्न प्रशिक्षण डी0डब्ल्यू0एस0सी0 के सहयोग से सुनिष्चित करेगी :–

क0सं0	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या	दिनों की संख्या
1	क्रियान्वयन चरण पर वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कार्यशाला	14	2
2	कोषाध्यक्ष का प्रशिक्षण	1	1
3	ग्रामीण रखरखाव कार्यकर्ता (वी0एम0डब्लू0) का प्रशिक्षण	1	3

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सत्र और उक्त प्रशिक्षण क्रियाकलाप के प्रशिक्षण मॉडयूल एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

8.0 वित्तीय मुद्दे:

(i) भुगतान के प्रकार:

इस अनुबन्ध के तहत डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा तीन प्रकार के भुगतान किये जायेंगे:

(क) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा नियुक्त स्टाफ के वेतन और यात्रा व्यय के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को भुगतान किया जायेगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के वेतन एवं यात्रा नियमों के अनुरूप प्रदत्त निधियों का उपयोग करने के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 स्वतंत्र होगी। इसके अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव तंत्र की स्थापना के प्रति किया गया भुगतान भी सम्मिलित है।

(ख) दूसरे प्रकार के भुगतान में सामुदायिक विकास और निर्माण क्रियाकलाप का धन भी सम्मिलित होगा। यात्रा, पोस्टेज और अन्य आकस्मिक कार्यालय व्ययों के लिए वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को ऊपरी खर्च के रूप में डी0ओ0ए0 के पैरा 4 (i) में किए गए प्रावधान के तहत अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी।

(ग) भुगतान की धनराशि क्रियाकलाप के विस्तार और प्रकार पर निर्भर होगी। भुगतान तीन किस्तों में दिया जायेगा।

(I) योजनाओं के लिए क्रियान्वयन चरण 6 से 9 महीने का होगा। भुगतान निम्नवत् किश्तों में अवमुक्त किये जायेंगे:

भुगतान	40%	50%	10%

दूसरा भुगतान 2 महीने बाद और तीसरा भुगतान 5 महीने बाद किया जायेगा।

(II) बैंक खाता संचालन

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 पृथक संयुक्त बैंक एकाउन्ट खोलेगी जिसमें अनुबन्ध के प्रति प्राप्त भुगतान जमा किये जायेंगे। एकाउन्ट का नाम, स्वजलधारा कार्यक्रम ग्राम पंचायत .... होगा। यह खाता गांव के बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा। यदि गांव में पोस्ट आफिस या बैंक न हो तो संयुक्त खाता निकटतम स्थित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा। बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष वी0डब्ल्यू0एस0सी0 और कोषाध्यक्ष वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। स्कीम समादेषन, आई0पी0सी0आर0 निर्माण एवं अन्तिम ऑडिट के उपरान्त बन्द किया जाएगा।

पेशगी नकद योगदान के प्रति ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के खाते में संगृहीत निधि इस खाते में अंतरित की जायेगी। परन्तु वी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा नियोजन चरण में खोला गया खाता समादेषन के उपरान्त ओ0एण्ड0 एम0 एंकाउण्ट के रूप में संचालित किया जायेगा।

(III) लेखा पुस्तकें

(क) वेतन, यात्रा और ठहराव एवं खर्च के लिये किये जाने वाले योगदानों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्राप्त करेगी। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 लेखा पुस्तकों का रखरखाव करेगी जिसमें कैश बुक, लेजर और अन्य प्रासंगिक अभिलेख समाविष्ट होंगे जिनमे उपर्युक्त प्राप्तियों और किये गये सभी खर्चों का हिसाब रहेगा। वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के कोषाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि सभी निर्माणों के तथा अंतिम भुगतान के हो चुकने पर वह एक स्टेटमेंट तैयार करें, जिसमें क्रियाकलाप वार लागत अलग–अलग दिखायी जाये।

(ख) वी0डब्ल्यू0एस0सी0 को डी0डब्ल्यू0एस0सी0 द्वारा संयुक्त खाते में दिये गये धनराशि के लिये पारदर्शी बही खाता तैयार रखना होगा। चेक इशू रजिस्टर, कैश डे–बुक चेक बुक और बाउचरों का रखरखाव करने और चेक इशू रजिस्टर तथा कैश डे–बुक का अवशेष रोजाना निकालने तथा डी0डब्ल्यू0एस0सी0 भुगतान और सामुदायिक योगदान का अंतिम लेखा तैयार करने के लिये वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का कोषाध्यक्ष जिम्मेदार होगा।

वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के कोषाध्यक्ष को बही लेखन के लिये समर्थक बिलों/कैश मेमो के साथ वाउचरों को तैयार करना होगा। भंडार लेखा और वी0डब्ल्यू0एस0सी0 लेखा के साथ ही क्रियाकलापवार लेखाओं का रखरखाव करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कोषाध्यक्ष का उत्तरदासित्व होगा।

(ग) मासिक आय–व्यय लेखा को स्वीकृति और अनुमोदन के लिये पंचायत/वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के समक्ष निरपवाद रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

(IV) सामान्य

समुदाय के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर संक्षिप्त लेखा स्थिति विवरण के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिये वी0डब्ल्यू0एस0सी0 उत्तरदायी है। सभी ग्रामवासी सामान्य रूप से लेखा स्थिति के विषय में जानकारी हासिल कर सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिये लेखा में मासिक आर्थिक स्थिति की रिपोर्टों को भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये समुदाय के समक्ष रखना होगा

(v) अभिलेखों का निरीक्षण

एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा अधिकृत आडिट अथवा किसी अन्य अधिकारी/संगठन के समक्ष प्राप्तकर्ताओं की रसीदों और स्टाफ की नियुक्ति–पत्रों सहित सभी प्रलेखों को उपस्थित करना वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की जिम्मेदारी होगी।

(vi) आडिट

अनुबन्ध में उल्लिखित समय पर एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा नियुक्त आडिटर उक्त खातों का लेखा परीक्षण करेंगे।

9.0 रिपोर्टिंग प्रक्रिया:

I. एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रपत्र पर मासिक रिपोर्टे तैसार करके प्रस्तुत करने की प्रत्याशा वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से की जाती है। इस प्रपत्र को ग्रामवार भरा जायेगा। इस प्रपत्र से प्राप्त सूचना का उपयोग एस0डब्लू0एस0एम0 के लिये विकसित एम0आइ0एस0 करेगी। इस एम0आइ0एस0 से मासिक रिपोर्टें तैयार की जाती है।

II. वी0डब्ल्यू0एस0सी0 प्रतिनिधिगण नियमित रूप से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठको में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त वी0डब्ल्यू0एस0सी0 से यह आशा भी की जाती है कि वे जब और जैसे आवश्यक हो, परियोजना समीक्षाओं में भी भाग लें।

III. एस0डब्लू0एस0एम0 (जब) आवश्यकता होगी सभी वी0डब्ल्यू0एस0सी0 ग्राम पंचायत और अन्य सहभागी एजेन्सियों की समन्वयन बैठक आयोजित करके प्रगति और समस्याओं की समीक्षा करेगी और समस्याओं को, यदि वे हुई तो, हल करने की कार्यवाही करेगी। ये बैठकें डी0डब्ल्यू0एस0सी0 और वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के बीच आदान–प्रदान के लिये भी उपयोगी होंगी।

Particulars	No. of Staff per GP	Monthly Rate/ Staff	Man Months	Amount
Community Organiser	1	4000.00	1.5	6000.00
Community Worker	1	1500.00	9	10500.00
Accountant	1	3000.00	1/2	1500.00
Sub Total				**18000.00**
Assistant Engineer	1	7000.00	3/4	5250.00
Junior Engineer	1	5000.00	3	15000.00
DEO	1	4500.00	1/2	2250.00
Sub Total				**22500.00**
Total				**40500.00**
Name of Staff	**Trips/ Stays**	**Rate per trip & stay**	**Total Trips/Stay**	**Amount**
Community Organiser	1.00	50	24	1800.00
Accountant	1	50	10	750.00
Sub Total	**17/17**		**34**	**2550.00**
Assistant Engineer	12/6	50	12	900.00
Junior Engineer	13/15	50	35	2625.00
Sub Total	**330/165**		**47**	**3525.00**
Total				**6075.00**
Grand Total				**46575.00**

Name of Staff	No. of Participants (Appx.)	Rate	No of GPs	Amount for 1 GP
Cluster meeting	500	2	1	**1000**
JPS/WUG Members	20	15	1	300
Feasibility of Technology option	20	30	1	600
Capacity Development and Women empowerment	30	30	1	900
Operation & Maintenance, Monitoring & Evaluation	20	30	1	600
Implementation, Procurement of material & Service agency				900
Implementation, Phase Trainings	16	30	1	480
				3780
Cross Visits (a) Local		1000	1	1000
IEC Documentation etc.		2000	1	2000

DPR Preparation		1250	1	1250
Survey		3000	1	3000
				12030
Total				**58605.00**
Add 7% overhead				4102.35
Grand Total				**62707.35**
			Say	**63000.00**
Cost of Planning phase activities for any single GP shall be Rs.63000.00 or 5% of the DPR which ever is lower.				

स्वजलधारा परियोजना
आधारभूत आंकड़े (बेसलाइन सर्वे)

अ. सामान्य सूचना

अ–1 स्थितिः

1	ग्राम पंचायत का नाम		3	गणना कोड संख्या	
2	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत राजस्व ग्राम	**I**			
		II			
		III			
		IV			
		V			
		VI			
4.	ब्लाक		5	जिले	
6	वाटर शेड का नाम				
7	मुख्य ग्राम के अतिरिक्त मजरों की सं0 / नाम		8	डाकघर का नाम	
8	स्कूल–प्रा0 स्कूल / जूनियर हाईस्कूल / हाईस्कूल / इण्टरकालेज आदि		10	पिनकोड	

11. कस्बे के बाजार का नाम जहां से निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, पाइप आदि) क्रय किया जा सके

मार्गस्थिति

दर्शायेः	जिला मुख्यालय से दूरी	वाहन द्वारा	पक्की	किमी0
			कंकड़	किमी0
			कच्चा	किमी0
		पैदल		किमी0

अ–2 स्थानीय सामग्रीः

स्थानीय सामग्री की उपलब्धता			
क्रम सं0	पदार्थ	हॉः दर्शाये	संख्या
1	बालू		
2	पत्थर		
3	मौरंग / कंकड़		
4	ईंट		

अ–3 जनंसख्या सम्बन्धी सूचना (मुख्य सूचना देने वाले के साथ चर्चा–जैसे गांव का नेता, विद्यालय का अध्यापक, महिला आदि)

1. अनु0 जाति/जनजाति परिवारों की कुल संख्या/जनसंख्या..
2. ग्राम की कुल वर्तमान जनसंख्या / कुल परिवारों की संख्या...
3. ग्राम की स्थापना का ढंग (क्षेत्रवार) छितरा/बराबर फेला/क्षेत्र...
4. तापमान न्यूनतम OC अधिकतम OC
5. वार्षिक वर्षा मि0मी0
6. ऊंचाई समुद्र तल से...मीटर
7. मुख्य व्यवसाय..
8. 1) मुख्य आय के स्रोत
   2) आय के अन्य साधन
9. ग्राम एवं जनपद स्तर पर स्वीकृत मजदूरी दर (जनपद की दर जिला मुख्यालय से प्राप्त करें)

पुरूष				महिला	
मजदूरी	दर	ग्राम के अन्दर	जिला मुख्यालय	गांव के अन्दर	जनपद मुख्यालय
राज मिस्त्री	रु0/मान व दिवस				
मजदूर					
कुली					
खच्चर					
कृषि मजदूरी					

पेयजल आपूर्ति (कृपया प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान पेयजल तंत्र का इतिहास बतायें)

1. पाइप द्वारा संचालित योजना (सतही/डैम)–यदि पाइप पेयजल योजना है। बहुग्रामीण पेयजल योजना से आच्छादित होने पर उसका उल्लेख विशिष्ट टिप्पणी में किया जाये (योजना का नाम, जल कल से दूरी)

कम संख्या	**योजना का नाम**	**स्तर पर टिप्पणी**
1	नियोजन कर्ता/निर्माण कर्ता का नाम	
2	वर्ष	
3	जल स्रोत (नदी/बांध)	
4	पानी पम्पिंग BHP/Head	
5	शुद्धिकरण प्रक्रिया	
6	गुरूत्व/पम्पिंग मेन–लम्बाई (साइज के अनुसार)	
7	भण्डारण क्षमता (साइज के अनुसार)	
8	वितरण लम्बाई (साइज के अनुसार)	
9	सामुदायिक स्टैण्डपोस्ट	
10	क्या योजना चल रही है	
11	कौन रखरखाव करता है	
12	प्रति घर संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	
13	व्यक्तिगत कनेक्शन	
14	विशिष्ट टिप्पणी	
15	कुओं की संख्या	

नोटः यदि उथले जल स्तर पर हैण्डपम्प लगे है तो उनकी संख्या...

2. गहरे बोर वाले हैण्डपम्प– प्रत्येक हैण्डपम्प की सूचना दी जाये

क0 सं0	योजना का नाम	स्तर पर टिप्पणी							
1	स्थान								
2	देखभाल करने वाले का नाम								
3	लगाने वाला								
4	वर्ष								
5	स्रोत झरना/भूमिगत जल								
6	डिस्चार्ज (ली0प्रति मि0)								
7	यदि कार्यरत न हो								
8	प्लेटफार्म की दशा खराब/सही								
9	नाली की स्थिति खराब/ सही								
10	प्लेटफार्म के पास गड्‌ढा है/ नहीं								
11	पानी की गुणवत्ता (साफ/साफ नहीं)								
12	जल स्तर की गहराई								
13	विशेष टिप्पणी								

नोटः यदि उथले जल स्तर पर हैण्डपम्प लगे हैं तो उनकी संख्या...

3. ट्यूबवेल स्कीम – यदि बहुग्रामीण योजना से आच्छादित है तो विशिष्ट टिप्पणी में योजना का नाम एवं जलकल से दूरी दी जाये।

क0 सं0	योजना विवरण	स्तर पर टिप्पणी
1	नियोजन कर्ता/निर्माण कर्ता का नाम	
2	वर्ष	
3	ट्यूबेल की संख्या/बोरिंग की गहराई	
4	पम्पिंग प्लाट का बी.एच.पी./हेड	
5	पम्पिंग मेन की लम्बाई (साइज के अनुसार)	
6	उपचार संयत्र	
7	ओवर हेड टैंक की संख्या (साइज के अनुसार)	
8	वितरण लम्बाई (साइज के अनुसार)	
9	सामुदायिक स्टैण्ड पोस्ट	
10	क्या योजना चल रही है	
11	कौन रखरखाव करता है	
12	प्रति घर संचालन एवं पुर्नरक्षण व्यय	
13	व्यक्तिगत कनेक्शन	
14	वाटर टेबल की गहराई	
15	विशिष्ट टिप्पणी	

नोटः यदि उथले जल स्तर पर हैण्डपम्प लगे हैं तो उनकी संख्या...

C. वर्तमान सभी जल आपूर्ति स्रोतों की समय अवधि का अध्ययन

1. सभी वर्तमान प्रयोग हो रहे जल स्रोतों के बारे में बतायें (प्रयोग हो रहे सभी स्रोतों का भ्रमण करें तथा महिला सहित सूचना देने वाले से प्रत्येक स्रोत पर चर्चा करें) स्केच मानचित्र, में दी गई

सूचना के अनुसार ही निम्न सूचना भरें। उदाहरणार्थ स्केच मानचित्र संलग्नक–2 में दिया गया है। (स्पष्टता हेतु दूसरी शीट प्रयोग करें) नोटः यदि समूह में 50% से अधिक परिवार एक निश्चित स्रोत का प्रयोग करते हैं तो समय की बचत उस समूह से स्रोत तक ली जोयगी।

पानी के बिन्दुओं की संख्या	**प्राथमिक स्रोतों को मुख्यतया घरेलू उद्देश्यों हेतु 6 माह/वर्ष तक प्रयोग किया गया (P)**										**अन्य मौसमी स्रोत (S) घरेलू प्रयोग के लिए**			
विवरण	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**				
जल स्रोत के निकट परिवारों की कुल संख्या														
जल स्रोत का नाम														
जल स्रोत का प्रकार (झरना, जलधारा, नल, कुआं, नाला एवं तालाब आदि)														
स्रोत पर जल गुणवत्ता (साफ/गन्दा स्वादिष्ट)														
स्रोत के चारों तरफ स्वच्छता की स्थिति (बुरी/सामान्य/अच्छी)														
लगभग स्रोत तक जाने आने में लगा समय मिनट [a]														
औसत प्रतीक्षा समय (मिनट) [b]														

पानी के बिन्दुओं की संख्या	प्राथमिक स्रोतों को मुख्यतया घरेलू उद्देश्यों हेतु 6 माह/वर्ष तक प्रयोग किया गया (P)										अन्य मौसमी स्रोत (S) घरेलू प्रयोग के लिए			
विवरण	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**				
समूह के मध्य के परिवार से इस स्रोत तक के आने–जाने तथा ठहरने तक आवश्यक समय (मिनट) **6** [a] + [b] **[T1]**														
क्या स्रोत सूखा है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो स्रोत के उपयोग किये जाने वाले महीनों की संख्या दर्शाये **[M1]**														
कौन सा स्रोत सूखे के महीनों में उपयोग किया गया (स्रोत का नाम/संख्या चिन्हित कीजिए)														
यह स्रोत कितने महीने उपयोग किया गया (महीनों की संख्या दर्शाये) **[M1]**														
समूह के मध्य के परिवार से इस स्रोत तक के आने–जाने तथा ठहरने														

तक आवश्यक समय 7 **[T2]**														
प्रतिदिन प्रति परिवार अवसरों की संख्या (कूल) **[X]**														
प्रतिदिन प्रति परिवार घरेलू उपयोग हेतु अवसरों की संख्या 8														
प्रतिदिन प्रति परिवार जानवरों के उपयोग हेतु अवसरों की संख्या 9														
प्रति परिवार औसत जानवरों की संख्या														
प्रति अवसर लीटर की संख्या 10 (हॉ)														
प्रतिदिन/प्रति परिवार लीटर की संख्या														
नोटः सारणी के साथ परिवारों के समूह, उपलब्ध स्रोतों तथा (Round Trip Time) को दर्शाते हुए एक नक्शा उपलब्ध कराइये–एक उदाहरणार्थ नक्शा संलग्न है														

6. स्रोत का उपयोग करने वाले समूह के मकान से प्राथमिक स्रोत तक जाने, ठहरने तथा वापस आने हेतु लगा आवश्यक समय।
7. स्रोत का उपयोग करने वाले समूह के मकान से मौसमी स्रोत तक जाने, ठहरने तथा वापस आने हेतु लगा आवश्यक समय।
8. पीने, खाना बनाने तथा बर्तन धोने सहित।
9. परिवार को जानवरों की औसत संख्या सहित चयन कीजि।
10. प्रयोग किये जाने वाले बर्तन की क्षमता पर आधारित

P=T1xM1x 30 x (X+Y)
S=T2xM2x 30 x (X+Y)

2- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

समुदाय की वर्तमान जल स्थिति की मुख्य कमियां तथा समस्यायें क्या हैं? विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें।

....
....
....
....

स्वास्थ्य स्थिति और समस्याओं का वर्णन कीजिए (विशेषतया पिछले तीन सालों की स्वास्थ्य समस्याओं का वर्णन कीजिए)।

....
....
....
....

3. समुदाय में साधारण स्वच्छता स्थिति (√) लगाये

समुदाय की वर्तमान जल स्थिति की मुख्य कमियां तथा समस्यायें क्या हैं? विस्तृत विवरण उपलब्ध कराये।

	हॉ/ नहीं	**खराब**	**सामान्य**	**अच्छा**
अ. बेकार पानी निकासी उपाय				
ब. बेकार पानी निकासी की स्थिति				
स. कूड़ा निस्तारण उपाय				
द. बेकार पानी का उपयोग				

4. गांव में निर्मित शौचालयों की संख्या...
5. गांव में शौचालय उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या...
6. गांव में प्रमुख स्वास्थ्य समस्यायें (कृपया लक्षित जगह में, स्वास्थ्य स्वयंसेवी, ग्रामीण कार्यकर्ता, अध्यापकों तथा मातृ समूहों से संक्षिप्त विचार विमर्श कीजिए)

5 साल से कम उम्र के बच्चों में तीन मुख्य बीमारियां	**कौन से महीनों में बीमारियां अधिक होती हैं**	**प्रतिवर्ष बीमारियां होने की बारम्बारता**
1.		
2.		
3.		

7. गांव में चिन्हित तीन felt need को प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध करिये।

   1. ....
   2. ....
   3. ....

8. यदि जल आपूर्ति चिन्हित की गयी, तो गांव द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किये गये (संक्षिप्त विवरण लिखिए) निवेदन, विचार विमर्श आदि।

9. क्यों नहीं सम्पादित हुआ (कृपया प्राथमिकता के क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए)

   अ. तकनीकी ज्ञान के अभाव में [1]
   ब. वित्तीय संसाधनों के अभाव में [2]
   स. अपर्याप्त स्रोत [3]

द. विवादित स्रोत [5]
य. अन्य (दशायें) [-]

द. प्रस्तावित स्रोत की जल प्राप्यता

द.2 प्रस्तावित स्रोत की जल प्राप्यता तथा विश्वस्तता (भूमिगत जल)

गांव में जल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित स्रोत (सम्पूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कीजिए तथा पूर्व साध्यता से उपलब्ध जल आपूर्ति स्रोतों का विश्लेषण कीजिए तथा निम्न को भरिये)

निम्न विषय के लिए विश्लेषण कीजिए		विवरण	टिप्पणी
	मानसून(जुलाई, अगस्त, सितम्बर)		
	शुष्क मौसम (मई,जून)		
	अध्ययन के दौरान		
उपलब्ध कुओं के पानी की गुणवत्ता गन्दा/ साफ अच्छा टैस्ट/खराब टैस्ट अधिक लोहा/ कम लोहा			
नीचे की मिट्टी का प्रकार (कछार/बलुई/मृत्तिका/ कंकट/पत्थर/चटटान)			
सम्भावित पथरीली सतह (मी0)			
जलधारी स्तर सूचना (गहराई/प्रकार आदि)			
जलधारी सूचना स्तर स्रोत			
भूमिगत जल के प्रदूषण की संभावना			
यदि कुएं व्यक्तिगत जगह पर बनाए गये हैं तो उपभोग की स्वीकृति (इच्छा से /अनिच्छा से)			
वातावरणीय आपदा सम्भावना तथा बचाव की जरूरत (हॉ/नहीं)			

य. सामुदायिक क्षमता–

1. विगत वर्षो में ग्रामीणों द्वारा किये गये विकास के क्रियाकलाप (कृपया विचार कीजिए तथा क्षेत्र का आंकलन कीजिए)

क्रियाकलाप	**वाहय/स्वतः सहायतित**	**सामुदायिक अंशदान हॉ/नहीं)**	**निर्णय लेने की प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी**	**अनुरक्षित (हॉ/नहीं)**
स्कूल/सामुदायिक भवन				
लघु सिंचाई				
अनौपचारिक शिक्षा				
सततीकरण				
सामुदायिक वन				
पेयजल				
अन्य (दर्शाइये)				

2. वर्तमान स्थानीय संस्थान/समुदाय में महिला केन्द्रित संस्थान सहित उपभोगी संस्था/समूह

संस्थान	**स्थापना वर्ष**	**क्रियाकलाप**	**सदस्यों की संख्या**	**महिला सदस्यों की संख्या**

3. क्या अनौपचारिक शिक्षा की कक्षाएं गांव में हो रही है? हॉ/नहीं
यदि हॉ, तो–

अ. कक्षाओं को कौन प्रायोजित करता है..
ब. अनौपचारिक शिक्षा कब से प्रारम्भ हुई..
स. कितने प्रतिभागियों ने अनौपचारिक शिक्षा पूर्ण की..
द. कुल प्रतिभागियों में कितनी महिलाएं थीं..

4. क्या इस समय गांव में स्वास्थ्य शिक्षा की कक्षाएं चल रही है..
यदि हॉ, तो कौन प्रायोजित कर रहा है..
कुल लाभार्थी..
कुल महिला लाभार्थी ....

5. क्या गांव में दूसरे विकास कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे एस0जे0आर0वाई0/एस0जी0एस0वाई0 (कार्यक्रमों के नाम लिखिए)
6. क्या स्थानीय कौशल (पुरूष/महिला,) गांव में उपलब्ध है (समुदाय/स्वास्थ्य/ एन0एफ0ई0 सुविधादाता/निर्माण आदि)

	प्राइमरी से तक	जूनियर हाईस्कूल से तक	हाईस्कूल तक	हाईस्कूल से ऊपर	निर्माण कार्य हेतु कुशल मजदूर
पुरूष					
महिला					

र. अंशदान हेतु सहमति

1. क्या समुदाय अंशदान एवं भागीदारी हेतु इच्छुक है (सामूहिक बैठक के दौरान पूॅछे तथा नीचे लिखें) मजदूरी हेतु हॉ या नहीं लिखें तथा कुल कितना धन इकट्ठा हुआ लिखें।

जल आपूर्ति	अंशदान/सहभागिता हेतु सहमति			टिप्पणी
	सभी इच्छुक परिवारों से प्राप्त कुलधन (रु0)	कुल इच्छुक परिवार (सं0)	मजदूर हॉ/नहीं	
कुल नगद अंशदान (संचालन एवं अनुरक्षण)				
कुल नगद अंशदान निर्माण हेतु				
कुशल मजदूर				
अकुशल मजदूर पाइपलाइन खाइयों के लिए (पहाड़ों पर)				

2. पूर्व साध्यता टीम सदस्यः–

नाम	**पद**	**हस्ताक्षर**
1..	....	....
2..	....	....
3..	....	....
4..	....	....

इस समुदाय के लिए स्थानीय भ्रमण की तिथि ....से .... तक

3. हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे संज्ञान में इस प्रपत्र में उपलब्ध कराई गई सूचनाएं सही है। सहयोगी संस्था के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

पद... तिथि..

संस्था का नाम ....पता...

4. टीम की टिप्पणी...

....
....
....
....

मार्ग एवं स्थिति नक्शा हेतु मार्गदर्शन

यह स्पष्ट करता है कि किस ढंग से बाहरी एवं स्थानीय वस्तुएं निर्माण स्थल तक पहुचेंगी। एक साधारण मार्ग स्थिति नक्शा तैयार किया जाना चाहिए जो निर्माण स्थल की स्थिति तथा रोडहेड से निर्माण स्थल तक सामग्री पहुंचने में लगने वाले समय को दर्शाने में सहायता कर सकें।

कृपया यह भी दर्शायें कि बाहर से लायी जाने वाली तथा स्थानीय वस्तुएं स्थल तक कैसे पहुंचेगी। यदि यह ट्रक से लायी जाती है तो वह गांव के बाहर किस स्थान पर उतारी जायेगी, जहां से उसे निर्माण स्थल/गांव में पहुंचाया जायेगा। निर्माण स्थल तक सामग्री पहंचाने में क्या ट्रैक्टर का प्रयोग होगा और आवागमन में कितना समय लगेगा। जहां ट्रक से वस्तुएं उतरेगी वहां से गांव/निर्माण स्थल तक ढुलाई होने तक क्या ग्राम वासियों को रात में रूकना आवश्यक होगा। इसे सभी प्रकार की वस्तुओं जैसे ईट, बालू, इत्यादि के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए।

मार्ग एवं स्थिति नक्शा

पूर्व साध्यता सारांश रिपोर्ट

जिला

सहयोगी संस्था का नाम	
ब्लाक	
ग्राम पंचायत	

क0सं0	राजस्व ग्राम	ग्राम कोड	परिवार	जनसंख्या	अवस्था

समय की बचत	
Lpcd में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता	
अंशदान की सहमति	
स्रोत की गांव से दूरी (कि0मी0)	
जल स्तर की गहराई	
मूलधन का 10% देने की इच्छा (नगद + मजदूरी)	
100% संचालन एवं अनुरक्षण भुगतान हेतु सहमति	
संभावित प्रकार tech in W/S	
योजना की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	
क्षेत्र निरीक्षण टीम की संस्तुति एवं टिप्पणी उनकी नाम, पद तथा हस्ताक्षर सहित।	
डी0डब्लू0एस0सी0 की संस्तुति	